[2020] 7 एस. सी. आर. 1014

आरईः विजय कर्ले और हमारा।

(सुओ मोटू अवमानना याचिका 2019 की आपराधिक संख्या 2)

27 अप्रैल, 2020

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 129 और 142-न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971। 15- अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियम

सर्वोच्च न्यायालय, 1975 की-अवमानना से निपटने के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ-न्यायमित्र ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होने के नाते न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों से बाध्य नहीं है - एक नंगी

कला का अध्ययन। 129 यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभिलेख न्यायालय होने के नाते उच्चतम न्यायालय के पास ऐसे अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है-यह एक संवैधानिक शक्ति है जिसे किसी भी तरह से नहीं लिया जा सकता है।

कानून द्वारा संक्षिप्त-कला। 142 यह भी प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, लेकिन यह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन है-Art.142 के खंड (2) के तहत शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्राथमिक स्रोत नहीं है।

अवमानना कार्यवाही अर्थात क) स्वतः संज्ञान; या (ख) महान्यायवादी या महान्यायवादी द्वारा की गई याचिका पर; या (ग) किसी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर, और महान्यायवादी या महान्यायवादी की लिखित सहमति से आपराधिक अवमानना के मामले में। - अधिनियम, 1971 की धारा 15 अवमानना के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति का स्रोत नहीं है और यह केवल उस प्रक्रिया का प्रावधान करती है जिसमें ऐसी अवमानना शुरू की जानी है-जहां तक स्वतः संज्ञान याचिकाओं का संबंध है, किसी की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय

अवमानना के लिए नोटिस जारी करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर रहा है-यह न केवल अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों से भी स्पष्ट है।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियम, 1975-दो पत्र

विजय कर्ले और हमारा।

दिनांकित 20.3.2019 और 19.3.2019 कथित अवमानकर्ता संख्या द्वारा हस्ताक्षरित।

1 और 2 वितरित किए गए थे-पत्रों का कार्यकाल अत्यधिक था

अपमानजनक, और निंदनीय और अपमानजनक आरोप थे उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ मामला दर्ज-एक पीठ

अवमानकर्ताओं को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि मामला रखा जाए

एक उपयुक्त पीठ का गठन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष

अवमानना मामले की सुनवाई और निर्णय करने के लिए-कथित अवमानकर्ता

उन्हें जारी किए गए नोटिसों के निर्वहन के लिए आवेदन दायर किए गए

आरोपमुक्त करने का मुख्य आधार यह था कि भेजा गया नोटिस इसमें नहीं था

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार

- आयोजित किया गयाः उच्चतम न्यायालय के अपने नियम हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियम, 1975

और फॉर्म I में नोटिस जारी करने का तरीका बताया गया है।

-

आदेश जिसके तहत अवमानना की कार्यवाही स्पष्ट रूप से शुरू की गई थी यह दर्शाता है कि अवमानना शुरू करने के आधार में परिलक्षित हुए थे

आदेश स्वयं-इसलिए, सूचना कानूनी और वैध थी।

न्यायालय की अवमानना-उच्चतम न्यायालय-स्वतः संज्ञान को चुनौती

कार्यवाही दो पत्र दिनांकित 20.03.2019 और 19.03.2019 स्वीकारयोग्य रूप से अवमानना संख्या द्वारा हस्ताक्षरित। 1 & 2 प्रसारित किया गया था -

पत्रों का भाव अत्यधिक अपमानजनक और निंदनीय था।

उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए गए थे-सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने अवमानकर्ताओं को नोटिस जारी किया अवमानकर्ताओं ने तर्क दिया कि कार्यवाही स्वतः संज्ञान कार्यवाही नहीं है और इसलिए, यह नहीं किया जाना चाहिए था

महान्यायवादी या सॉलिसिटर की सहमति के बिना मनोरंजन

जनरल-आयोजितः अवमानना मूल रूप से न्यायालय के बीच का मामला है। और अवमानकर्ता कोई भी व्यक्ति न्यायालय को सूचित कर सकता है

अवमानना की गई-यदि उसे एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाना है तो अवमानना उनके नाम पर होगी लेकिन जब अदालत उन्हें नियुक्त नहीं करेगी

एक पक्ष के रूप में, न्यायालय स्वयं जानकारी के आधार पर ले सकता है

अवमानना का स्वतः संज्ञान-वर्तमान मामले में, न्यायालय ने स्वयं सूचना के आधार पर अवमानना का स्वतः संज्ञान लिया

और फिर मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया

इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए-सूचीबद्ध मामला शुरू से ही स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत की अवमानना-सुप्रीम कोर्ट-सुओ मोटो कार्यवाही न्यायाधीश अपने स्वयं के कारण में-दो पत्र दिनांक 20.03.2019 और

अवमानना मामले की सुनवाई और निर्णय के लिए उपयुक्त पीठ-अवमानकों ने तर्क दिया कि पीठ मामले को उसके समक्ष रखे बिना नोटिस जारी नहीं कर सकती थी और आगे यह कि यह उनके अपने मामले में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के बराबर है-अभिनिर्धारित कियाः पीठ पहले से ही सुओ मोटू अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) पर विचार कर रही थी। 2019 का सं. 1-उक्त पत्रों को पीठ के समक्ष रखा गया था नोटिस जारी करने के बाद, पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि उपयुक्त के समक्ष रखा जा सके। पीठ-यह वैध और उचित प्रक्रिया है और पीठ ने अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया केवल नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद मामला दूसरी पीठ को सौंपा गया था।

भारत का संविधान-न्यायालय के निर्णयों की आलोचना करने की स्वतंत्रता-आयोजितः देश का कोई भी नागरिक आलोचना कर सकता है

सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय हालांकि, किसी भी पक्ष को न्यायाधीश के उद्देश्यों का श्रेय देने या न्यायाधीश की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने या न्यायाधीश की क्षमता के संबंध में सवाल उठाने का अधिकार नहीं है-न्यायाधीश न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग हैं।

अदालत की अवमानना-सुप्रीम कोर्ट-स्वतः संज्ञान कार्यवाही दो पत्र प्रसारित किए गए-दो पत्रों का कार्यकाल दिनांकित

20.03.2019 और 19.03.2019 स्वीकारयोग्य रूप से अवमानना संख्या द्वारा हस्ताक्षरित। 1 & 2 यह अत्यधिक अपमानजनक था, और सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ निंदनीय और अपमानजनक आरोप लगाए गए थे-सभी चार कथित अवमानकों को नोटिस जारी किया गया था-अवमानना सं. 4 आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया और उनके आवेदन को अनुमति दी गई-आयोजितः अवमानकर्ता संख्या 1 द्वारा दिनांकित पहला पत्र मूल रूप से दिनांकित आदेश के संबंध में है

12.03.2019 सुओ मोटू अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) 2019 का सं. 1, जिसमें अवमानना सं. 4 को अवमानना का दोषी ठहराया गया था और अवमानना सं. 4 को सजा के मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

विजय कर्ले और हमारा।

इस बीच, दोनों अवमानकर्ता संख्या 1 और 2 ने ये पत्र भेजकर अनुरोध किया कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 3 अपने निर्वहन आवेदन में संकेत दिया कि अवमानकर्ता द्वारा भेजे गए पत्र नं। 1 और 2 को अवमानना सं. की जानकारी और सहमति के साथ भेजा गया था। 3 - इसके अलावा, अवमानना नं। 3 , बहस करते हुए मामला प्रत्येक का समर्थन कर रहा था

और अवमानकर्ताओं द्वारा पत्रों में कहा गया सब कुछ नहीं। 1 और 2-इसलिए, तीनों कथित अवमानकर्ता संख्या। 1 , 2 और 3 मिलकर काम कर रहे थे और उनके खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगा रहे थे

उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य, संभवतः इस इरादे से कि सदस्य इसके बाद अवमानना सं. 4 सुओ मोटू अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) 2019 का सं. 1-इस प्रकार, तीनों कथित अवमानकर्ता सं. 1 , 2 और 3 अवमानना के दोषी हैं।

तीनों अवमाननाकर्ताओं को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत ने

पकड़नाः उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ

1.1 . अनुच्छेद 129 को नंगे पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस न्यायालय के पास अभिलेख न्यायालय होने के नाते इस तरह की सभी शक्तियां होंगी।

स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित अभिलेख न्यायालय। यह एक संवैधानिक शक्ति है जिसे हटाया नहीं जा सकता है।

या किसी भी तरह से क़ानून द्वारा संक्षिप्त। [पैरा 7] [1026-एफ]

1.2 अनुच्छेद 142 में यह भी प्रावधान है कि यह न्यायालय दंडित कर सकता है।

यह दर्शाता है कि जबकि संस्थापक पिताओं ने महसूस किया कि शक्तियों के तहत अनुच्छेद 142 का खंड (2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन हो सकता है, जहां तक अनुच्छेद 129 का संबंध है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 142 के खंड (2) के तहत शक्ति अभिलेख न्यायालय की शक्ति का प्राथमिक स्रोत नहीं है जो कि अनुच्छेद 129 है।

और अनुच्छेद 129 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। [पैरा 7] [1027-सी-डी] 1.3 इस न्यायालय ने इस संबंध में नियम बनाए हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियम, 1975 के रूप में जाना जाता है। नियम 3 के केवल अवलोकन से पता चलता है कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने के 3 तरीके हैं। पहला स्वतः संज्ञान है, दूसरा अटॉर्नी जनरल या [2020] 7 एस. सी. आर. द्वारा की गई याचिका पर है।

सॉलिसिटर जनरल, और तीसरा किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका के आधार पर है और जहां आपराधिक अवमानना शामिल है तो

महान्यायवादी या महान्यायवादी की सहमति है आवश्यक है। [पैरा 17 और 18] [1032-जी] [1033-बी-सी]

1.4 उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवमानना

न्यायालय अधिनियम, 1971 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। धारा 15 आपराधिक अवमानना के संज्ञान से संबंधित है और धारा 15 के शुरुआती हिस्से में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय

न्यायालय कार्रवाई कर सकते हैं (i) स्वतः संज्ञान (ii) उच्च न्यायालय या महान्यायवादी के मामले में महाधिवक्ता द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर।

महाधिवक्ता/महान्यायवादी/महान्यायवादी, जैसा भी मामला हो। [पैरा 23] [1035-बी-डी] 1.5 उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। भारत संघ ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 अवमानना अधिकारिता प्रदान करने वाला एक ठोस प्रावधान नहीं है और,

इसलिए, विशेष रूप से जहां तक स्वतः संज्ञान अवमानना का संबंध है, यह केवल एक प्रक्रियात्मक धारा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियां अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं हैं। इसलिए, एकमात्र आवश्यकता एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करना है जो न्यायसंगत, निष्पक्ष और इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार हो। [पैरा 29] [1039 जी-एच]

2. इस न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अवमानना शुरू करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किसी भी तरह से सीमित नहीं हैं

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। यह न्यायालय अवमानना से निपटने के लिए संवैधानिक शक्तियों के साथ निहित है। धारा 15 अवमानना के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति का स्रोत नहीं है। यह केवल उस प्रक्रिया का प्रावधान करता है जिसमें ऐसी अवमानना शुरू की जानी है। और इस प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि अवमानना शुरू करने के तीन तरीके हैं-(i) स्वतः संज्ञान (ii) महाधिवक्ता/महान्यायवादी/महान्यायवादी द्वारा प्रस्ताव पर और (iii) महाधिवक्ता/महान्यायवादी/महान्यायवादी की लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के आधार पर। जहाँ तक स्वतः संज्ञान याचिकाओं का संबंध है, किसी की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय अवमानना के लिए नोटिस जारी करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। यह केवल आरई नहीं है:

विजय कर्ले और हमारा।

अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट लेकिन इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों, 1975 से भी स्पष्ट। [पैरा 31] [1040-जी-एच] [1041-ए-बी]

नोटिस जारी करने पर आपत्तियाँ

3.1 नियमों और प्रपत्र की एकमात्र आवश्यकता यह है कि अवमानना की संक्षिप्त प्रकृति प्रपत्र में बताई जाए। प्रपत्र के साथ सभी दस्तावेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस आदेश का अवलोकन जिसमें अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अवमानना शुरू करने के आधार थे

क्रम में ही परिलक्षित होता है। यह आदेश स्वीकार्य रूप से भेजा गया था

कथित अवमानक। इसलिए, इस न्यायालय की राय में, सूचना पूरी तरह से प्रपत्र-1 के अनुसार थी, जिसके लिए केवल यह आवश्यक है कि सूचना में संक्षिप्त रूप से प्रपत्र की प्रकृति का उल्लेख होना चाहिए। अवमानना। एक बार आदेश को नोटिस के साथ जोड़ा गया जो नोटिस का ही हिस्सा बन गया। [पैरा 32] [1042-बी-डी]

क्या इन कार्यवाहियों को स्वतः संज्ञान कहा जा सकता है?

4.1 जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस न्यायालय ने बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया पत्र,

इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक और कथित समकालीन संख्या की शिकायतों में की गई प्रार्थनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने के बाद। 1 और 2 दोनों शिकायतों में लगाए गए आरोपों के साथ यह विचार था कि पीठ के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप निंदनीय प्रकृति के थे और इसलिए, कथित अवमानकों को नोटिस जारी किया गया था और समकालीन नं। 4 जिन्हें तब से छुट्टी दे दी गई है। [पैरा 34] [1044-बी-सी]

4.2 जब यह न्यायालय स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) में दिनांकित 27.03.2019 आदेश पढ़ता है। समग्र रूप से 2019 का नंबर 1, यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने स्वयं इसका संज्ञान लिया

शिकायतें और उसके दस्तावेजों के साथ-साथ उसमें लगाए गए आरोप। अवमानना मूल रूप से न्यायालय और अवमानकर्ता के बीच का मामला है। कोई भी व्यक्ति अदालत की अवमानना के बारे में सूचित कर सकता है। यदि उसे एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया जाना है तो अवमानना उसके नाम पर होगी, लेकिन जब न्यायालय [2020] 7 एस. सी. आर. को निर्दिष्ट नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक पक्ष के रूप में, न्यायालय स्वयं सूचना के आधार पर अवमानना का स्वतः संज्ञान ले सकता है। वर्तमान मामले में, सूचना के आधार पर न्यायालय ने स्वयं अवमानना का स्वतः संज्ञान लिया और फिर मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया। द.

इस मामले को शुरू से ही स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इस तरह से निपटा गया है। [पारस 34 और 35] [1044-सी-जी]

अपने कारण से न्याय करें

5. इस न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार है कि बॉम्बे बार द्वारा भेजे गए पत्र पर ध्यान देने में पीठ पूरी तरह से उचित थी

एसोसिएशन और बॉम्बे निगमित कानून के अध्यक्ष

सोसायटी और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में कथित कंटेनर्स नं. 1 और 2. नोटिस जारी करने के बाद पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। यह वैध और उचित प्रक्रिया है और पीठ ने अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया। केवल नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद मामला इस पीठ को सौंपा गया था। [पैरा 40] [1047-एफ-एच]

सूचना का स्रोत

6.1 तत्काल मामले में, जानकारी का खुलासा उसी आदेश में किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाता है कि कार्रवाई बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भारत के राष्ट्रपति और प्रमुख को भेजे गए पत्र के आधार पर की गई है कथित अवमानकों द्वारा की गई शिकायतों के जवाब में भारत के न्यायाधीश। अवमानकर्ता सं. की शिकायतें। 1 और 2 को पत्रों के साथ संलग्न किया गया था और न केवल बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष के पत्र पर ध्यान देने के बाद, बल्कि कथित अवमानकों द्वारा भेजी गई दोनों शिकायतों के प्रार्थना खंड और अदालत में लगाए गए निंदनीय आरोपों पर भी ध्यान दिया गया था।

शिकायतें, नोटिस जारी किया गया था। जानकारी का स्रोत बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया पत्र है, जैसा कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने के आदेश से स्पष्ट है। [पैरा 43] [1048-जी-एच] [1049-ए-सी] आरईः

विजय कर्ले और हमारा।

आलोचना करने की स्वतंत्रता

7.1 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों की आलोचना कर सकता है

इस न्यायालय सहित। तथापि, किसी भी पक्ष को न्यायाधीश के उद्देश्यों का श्रेय देने या न्यायाधीश की ईमानदारी पर सवाल उठाने या न्यायाधीश की क्षमता के संबंध में सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग हैं। बड़े पैमाने पर न्यायाधीश अवमानना कानूनों के तहत कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक हैं जब उन पर व्यक्तिगत हमला किया जाता है। हालाँकि, जब बार के सदस्यों द्वारा एक ठोस हमला किया जाता है, जो एक बड़े अनुयायी वाले संगठन के सदस्य होने का दावा करते हैं, तो न्यायालय किए गए निंदात्मक और निंदनीय आरोपों पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है। यदि ऐसे आरोप जिन्हें न केवल भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, उन्हें बिना किसी चुनौती के रहने दिया जाता है, तो जनता न केवल उन विशेष न्यायाधीशों में बल्कि पूरी न्याय वितरण प्रणाली में भी विश्वास खो देगी और यह निश्चित रूप से कानून की महिमा को प्रभावित करता है। [पैरा 48] [1051-जी-एच] [1052-ए-बी]

सत्य की रक्षा

8.1 बचाव के रूप में सत्य किसी भी आरोपित व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।

न्यायालय की अवमानना के साथ। हालाँकि, सभी लिखित दलीलों और अभिवचनों को देखने पर, यह कहने के अलावा कि न्यायाधीशों ने इस न्यायालय के फैसलों की गलत व्याख्या की थी या उन्हें नजरअंदाज किया था

वे या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पक्षपाती थे, इस बचाव का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। आरोप भी निंदनीय और निंदनीय हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 95] [1077-ए-सी]

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998)

4 एससीसी 409: [1998] 2 एस. सी. आर. 795-अनुसरण किया गया। प्रीतम पाल बनाम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने कुलसचिव 1992 के माध्यम से (1) स्केल 416; पल्लव सेठ बनाम। अभिरक्षक और अन्य। (2001) 7 एससीसी 549: [2001] 1 पूरक। एससीआर 387; डॉ. डी. सी. सक्सेना बनाम। माननीय मुख्य न्यायाधीश

भारत (1996) 5 एस. सी. सी. 216: [1996] 3 पूरक।

आर 677; [2020] 7 एससी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन रेः अरुंधति रॉय (2002) 3 एस. सी. सी. 343: [2002] 2

एस. सी. आर. 212-पर निर्भर था।

बिमान बसु बनाम। कल्लोल गुहा ठाकुरता और एक अन्य। (2010)

8 एससीसी 673: [2010] 10 एस. सी. आर. 631-लागू नहीं।

सुखदेव सिंह सोढ़ी बनाम। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश

पेप्सू उच्च न्यायालय [1954] एस. सी. आर. 454; श्री सी. के.

डैफ्टरी और अन्य बनाम। श्री ओ. पी. गुप्ता और अन्य

(1971) 1 एससीसी 626: [1971] पूरक। एससीआर 76; पी. एन. डूडा

[1988] 3 एससीआर 547; अनिल कुमार गुप्ता बनाम। के. सुब्बा राव और ओआरएस। आई. एल. आर. (1974) 1 डेल 1; दिल्ली न्यायिक सेवा

एसोसिएशन, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली बनाम। गुजरात राज्य

और ओआरएस। (1991) 4 एससीसी 406: [1991] 3 एससीआर 936; में

रीः विनय चंद्र मिश्रा (1995) 2 एस. सी. सी. 584: [1995]

2 एस. सी. आर. 638; बाल ठाकरे बनाम हरीश पिंपलकूते और

ओआरएस। (2005) 1 एससीसी 254: [2004] 6 पूरक। एससीआर 477;

डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम। केरल राज्य और अन्य। (2008)

3 एस. सी. सी. 542 [2008] 4 एस. सी. आर. 701; आरिश असगर कुरैशी

वी. फरीद अहमद कुरैशी और अन्न। 2019 (4) स्केल

606 संदर्भित किया गया। -

अवमानना का कानूनः न्यायालयों की अवमानना और

विधानमंडल, पाँचवाँ संस्करण। , लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स

वाधवा, नागपुर (2013)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1954] एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1971] पूरक। एससीआर 76

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[1988] 3 एससीआर 547

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

1992 (1) स्केल 416 [1991] 3 एससीआर 936

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[1995] 2 एससीआर 638

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 एससीआर 795

पीछा किया।

पै

रा 24

[2001] 1 पूरक। एससीआर 387

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[2010] 10 एससीआर 631

अप्रयोज्य

पै

रा 33 आरईः

विजय कर्ले और हमारा।

[2004] 6 पूरक। एससीआर 477

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2008] 4 एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[1996] 3 पूरक। एससीआर 677

उस पर भरोसा करें

पै

रा 46

[2002] 2 एस. सी. आर. 212

उस पर भरोसा करें

पै

रा 46

2019 (4) स्केल 606

संदर्भित किया गया है

पै

रा 81

अंतर्निहित न्यायनिर्णयः सुओ मोटू अवमानना याचिका

(आपराधिक) 2019 का सं. 2।

एन. एफ. एल. बनाम एन. एफ. एल. में 27.04.2020 दिनांकित निर्णय को वापस लेने के लिए याचिका।

टंकी (2013) 9 एस. सी. सी. 600 और एम. एस. अहलावत बनाम। राज्य (2000) 1 एससीसी 27.

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. (ए. सी.), नितिन सलूजा, नोबिन अख्तर,

शिवांशु सिंह, मनीष झा, शीजान हाशमी, पाराथो सोरकर, शिवम मेहरा, जयराम यादव, प्रेम सुंदरजुन, मेसर्स। राजन त्रिपाठी, विजय दुबे, टी. एन. दुबे, अखिलेश के. पांडे, एस. के. पांडे, गोपाल शरण पाठक, हर्ष सिंघल, राजेश श्रमा, फिरोज सैफी, राजीव के. गुप्ता, रमन कुमार, विशाल अरुण कुमार, पवन कुमार। , डी. एस. बदियार, ईश्वरलाल अग्रवाल, घनश्याम उपाध्याय, अभिषेक मिश्रा, दीपाली ओझा, निकी पोकर, मनन बंसल, रजत कपूर, अंजन दत्ता, एम. एस. गहलान, बीरेंद्र पांडे, राहुल गुप्ता, शशांक शर्मा, बैजनाथ यादव, फातिमा, बलराज दीवान, हेमंत कुमार। श्रीवास्तव, प्रतीक खंडेलवाल, काजल सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

श्री नीलेश सी. ओझा, प्रतिवादी। (व्यक्तिगत रूप से)।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता, जे।

1. सुओ मोटू अवमानना पर विचार करते हुए इस न्यायालय की एक पीठ

2019 की याचिका (आपराधिक) संख्या 1 ने पीठ के न्यायाधीशों के कार्यालय द्वारा 25.03.2019 पर प्राप्त एक पत्र पर ध्यान दिया। यह बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र की एक प्रति थी

भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। उक्त पत्र में, दो शिकायतों का संदर्भ दिया गया था-एक भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा की गई, दिनांक 20.03.2019 कथित अवमानना सं. 1 , श्री विजय कुर्ले, राज्य के अध्यक्ष

उक्त पत्र के अनुलग्नक-1 और 2। पीठ ने पत्र और उक्त पत्र से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान दिया और विशेष रूप से दोनों शिकायतों में की गई प्रार्थनाओं को नोट किया और पाया कि दोनों शिकायतें काफी हद तक समान हैं। शिकायतों में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए पीठ का विचार था कि उक्त पीठ के सदस्यों के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाए गए हैं और इसलिए श्री विजय कुर्ले को नोटिस जारी किया गया था। 1 , श्री राशिद खान पठान, कथित अवमानना नं। 2 , श्री नीलेश ओझा, कथित अवमानना नं। 3 और श्री मैथ्यूज नेदुमपारा, कथित अवमानना नं। 4. पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि अवमानना की सुनवाई और निर्णय के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन किया जा सके मामला।

2. नोटिस जारी होने के बाद, श्री नेदुमपारा ने एक आवेदन दायर किया,

आरोपमुक्त करने के लिए आपराधिक एम. पी. नं. 60568/2019 होने के नाते जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मुश्किल से श्री विजय कुर्ले और श्री नीलेश ओझा को जानते थे, और श्री राशिद खान पठान को बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने भेजने में किसी भी भूमिका से इनकार किया

उन शिकायतों को। इसलिए, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से हमने श्री मैथ्यूज नेदुमपारा को आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि कार्यवाही के दौरान उनके खिलाफ कोई सबूत सामने आता है, तो उन्हें फिर से तलब किया जाएगा। उसी तारीख को व्यक्तिगत रूप से पेश हुए श्री नीलेश ओझा ने कहा कि रजिस्ट्री ने इसकी पूरी प्रति नहीं दी है।

नोटिस के साथ बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक। द.

रजिस्ट्री को उन्हें अनुलग्नकों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। 30.09.2019 पर हमें सूचित किया गया कि रजिस्ट्री ने पूर्ण अनुलग्नक नहीं दिए हैं। इसके बाद, हमने रजिस्ट्री को पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक पी1 से पी15 के 3 सेट की आपूर्ति करने का निर्देश दिया था, जो कथित अवमानकर्ता को भेजे गए थे

नं. 1 3 तक। उसी तारीख को हमने वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा को अदालत की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया। 04.11.2019 पर, कथित अवमानक संख्या। 1 3 ने स्वीकार किया कि सभी दस्तावेजों को

उन्हें आपूर्ति की गई और उसके बाद, नए जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई।

3. बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के पत्र में न केवल इस न्यायालय के 2 माननीय न्यायाधीशों के खिलाफ की गई शिकायतों में लगाए गए आरोपों का संदर्भ दिया गया था, बल्कि आरईः

अन्य आरोप भी लगाए गए थे जो इंगित करते थे कि कथित अवमानना संख्या। 1 3 ने बंबई उच्च न्यायालय की भी अवमानना की थी। 09.12.2019 पर हमने स्पष्ट किया था कि स्वतः संज्ञान लेते हुए मूल आदेश और रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों को देखते हुए, श्री विजय कुर्ले के खिलाफ आरोप, कथित अवमानना नं। 1 यह केवल इस न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए निंदनीय आरोपों के संबंध में था, जो उनके द्वारा भारतीय बार एसोसिएशन के महाराष्ट्र और गोवा के राज्य अध्यक्ष के रूप में भेजे गए पत्र में दिए गए थे। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां तक श्री राशिद खान पठान की बात है, तो कथित अवमानना नं। 2 , संबंधित है, उनके खिलाफ आरोप केवल उनके द्वारा भेजे गए पत्र में इस न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए निंदनीय आरोपों से संबंधित है। जहां तक श्री नीलेश ओझा की बात है, तो कथित अवमानना नं. 3 उनके खिलाफ एकमात्र दस्तावेज 20.03.2019 का पत्र भी था, जिस पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन यह माना जाता है कि वह भारतीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमने श्री नीलेश ओझा को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया था कि क्या 20.03.2019 का पत्र उनकी सहमति से भेजा गया था या उनके अधिकार में।

4. यह उल्लेख करना उचित होगा कि श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वे इसके लेखक हैं।

जिन पत्रों पर उनके हस्ताक्षर हैं।

5. वर्तमान अवमानना का आधार दो पत्र दिनांकित 20.03.2019 और 19.03.2019 हैं जिन पर कथित अवमानना संख्या द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

1 और 2 अर्थात क्रमशः श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान। ये पत्र बहुत लंबे हैं जो संयुक्त रूप से 250 से अधिक पृष्ठों में हैं। इसलिए, पूरे अक्षरों को निकालना संभव नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अक्षरों का भाव बहुत अधिक है। इस न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाए गए हैं।

6. तीन कथित अवमाननाकर्ताओं ने कई प्रारंभिक मुद्दे उठाए हैं। हम इसका सारांश इस प्रकार दे सकते हैं:

(i) कि न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ मामले का संज्ञान नहीं ले सकती थी क्योंकि यह मामला मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें नहीं सौंपा गया था और दोनों न्यायाधीशों ने अपने-अपने मामलों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था।

((ii) कि पीठ ने अवमानना का स्वतः संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए रजिस्ट्री इसे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है।

याचिका।

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii) कि स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही में भी

महान्यायवादी की आवश्यकता है।

((iv) कि आवेग तैयार करने की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है क्योंकि प्रारंभिक चरण में दोषों को ठीक नहीं किया जा सकता है

बाद के आदेश/विकास।

(v) कि न्यायाधीश स्रोत का खुलासा करने के लिए बाध्य थे

जानकारी दी।

उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ

7. इससे पहले कि हम व्यक्तिगत रूप से आपत्तियों से निपटें, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना से निपटने के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971। कथित अवमानकर्ताओं के अनुसार, अदालत की अवमानना अधिनियम मामले में अंतिम शब्द है और यदि अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया है।

इसके बाद कार्यवाही को रद्द करना पड़ता है। दूसरी ओर, विद्वान न्याय मित्र श्री सिद्धार्थ लूथरा ने बड़ी संख्या में निर्णयों का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय न्यायालय अवमानना अधिनियम के प्रावधानों से बाध्य नहीं है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि अपनाई जाने वाली प्रक्रिया न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 इस प्रकार है:

" 129. उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। - उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास सभी शक्तियाँ होंगी -

स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसा न्यायालय।

अनुच्छेद 129 को नंगे पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस न्यायालय के पास अभिलेख न्यायालय होने के नाते ऐसे अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। यह एक संवैधानिक ऐसी शक्ति जिसे कानून द्वारा हटाया या किसी भी तरह से संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 इस प्रकार है:

और खोज आदि के बारे में आदेश। - (1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो या उसके समक्ष लंबित मामला, और इस प्रकार पारित कोई डिक्री या आदेशः

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

भारत के पूरे क्षेत्र में लागू किया जाएगा

जिस रीति से बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए

संसद और, जब तक उस संबंध में इस प्रकार प्रावधान नहीं किया जाता है,

जिस रीति को राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे।

(2) द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन

संसद, उच्चतम न्यायालय को, पूरे भारत के क्षेत्र के संबंध में, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, किसी भी दस्तावेज की खोज या उत्पादन, या जांच या सजा के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। स्वयं की
किसी भी तरह की अवमानना "।

अनुच्छेद 142 में यह भी प्रावधान है कि यह न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है।

स्वयं की अवमानना के लिए लेकिन यह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 के खंड (2) के प्रावधानों की तुलना से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जहां संस्थापक पिताओं ने महसूस किया कि अनुच्छेद 142 के खंड (2) के तहत शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन हो सकती हैं, वहीं अब तक ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

जैसा कि अनुच्छेद 129 का संबंध है। अनुच्छेद 142 के खंड (2) के तहत शक्ति अभिलेख न्यायालय की शक्ति का प्राथमिक स्रोत नहीं है जो कि अनुच्छेद है।

129 और अनुच्छेद 129 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अवमानना के कानून 1 में समरादित्य पाल ने कानूनी स्थिति को बहुत संक्षिप्त रूप से इस प्रकार बताया है:

" यद्यपि अवमानना का कानून काफी हद तक 1971 के अधिनियम द्वारा शासित है, लेकिन अब भारत में यह तय कानून है कि उच्च न्यायालय और

उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता और शक्ति अनुच्छेदों से प्राप्त करता है।

215 और संविधान का 129। इस स्थिति के परिणामस्वरूप

"न्यायिक स्व-व्यवहार" की गुंजाइश।

उच्च न्यायालयों को भी संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की तरह समान शक्तियां प्राप्त हैं। अभियुक्त का मुख्य तर्क

अवमानकर्ताओं का कहना है कि नोटिस अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी उल्लंघन के संदर्भ में जारी किया जाना चाहिए था अदालत की अवमानना अधिनियम पूरी कार्यवाही को दूषित कर देगा। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वयं की

अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित एक संवैधानिक शक्ति है, ऐसी शक्ति को विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीन नहीं लिया जा सकता है।

1 पीजीएस। 9-10 , अवमानना का कानूनः न्यायालयों और विधानमंडलों की अवमानना, पाँचवाँ संस्करण। , लेक्सिसनेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर (2013)

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. प्रतिद्वंद्वी विवाद को समझने के लिए, हमें दोनों पक्षों द्वारा निर्भर किए गए कई निर्णयों का संदर्भ देना होगा। इस मुद्दे पर पहला निर्णय सुखदेव सिंह सोढ़ी बनाम है। पेप्सू उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 2. यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त निर्णय न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 के संदर्भ में दिया गया था। उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अवमानना कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.PC) के तहत कार्यवाही कहा जा सकता है और उच्चतम न्यायालय के पास एक अदालत से दूसरी अदालत में कार्यवाही स्थानांतरित करने की शक्ति थी।

Cr.PC. स्थानांतरण के लिए अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" ... इसलिए हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय अवमानना के मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है। उच्च न्यायालय इससे संक्षिप्त रूप से निपट सकता है और अपना खुद का निर्णय ले सकता है।

प्रक्रिया। बस इतना आवश्यक है कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो और अवमानकर्ता को उसके खिलाफ आरोप से अवगत कराया जाए और उसे अपना बचाव करने का एक उचित और उचित अवसर दिया जाए। यह नियम प्रिवी काउंसिल द्वारा इन रे पोलार्ड (एल. आर. 2 पी. सी. 106 120 पर) में निर्धारित किया गया था और भारत और बर्मा में इन रे वल्लभदास (आई. एल. आर. 27 बॉम) में इसका पालन किया गया था। 394 390) और इब्राहिम मामोजी पारेख बनाम। राजा सम्राट (आई. एल. आर. 4 रंग। 257 259-261) पर। हमारे विचार में यह अभी भी कानून है।

9. श्री सी. के. डाफ्टरी और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। श्री ओ. पी. गुप्ता और अन्य 3 एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे थे, जिसमें अवमानकर्ता ने एक पर्चा प्रकाशित किया था, जिसमें अभद्रता की गई थी।

इस न्यायालय के 2 न्यायाधीशों पर आक्षेप। तर्क के दौरान, अवमानकर्ता ने एक याचिका दायर की कि सभी सबूत उन्हें प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और एक अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए

" याचिका के साथ संलग्न पुस्तिका "या" पुस्तक "। अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुस्तिका/पर्चे को मूल रूप से याचिका के साथ जोड़ा गया था और अदालत ने निर्देश दिया था कि मामले का फैसला हलफनामों पर किया जाए।

10. एक विशिष्ट आरोप तैयार किए जाने की अनुपस्थिति के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि एक विशिष्ट आरोप तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और एकमात्र आवश्यकता यह थी कि एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1952 से निपटने के लिए इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

2 1954 एससीआर 454

3 1971 (1) एससीसी 626 आरईः

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

" 58. हम यहां संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से चिंतित नहीं हैं। अनुच्छेद 129 से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय के पास अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां हैं, जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है और अनुच्छेद 142 (2) हमें इस न्यायालय की किसी भी अवमानना की जांच करने में सक्षम बनाता है।

11. इसके बाद, इस न्यायालय ने सुखदेव सिंह सोढ़ी के मामले (ऊपर) में टिप्पणियों को मंजूरी दी और निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 78. हमारे विचार में यह अभी भी कानून है। यह इस न्यायालय की प्रथा के अनुसार है कि उत्तरदाताओं को एक नोटिस जारी किया गया था और उन्हें तथ्यों और उनकी दलीलों को बताते हुए शपथ पत्र दायर करने का अवसर दिया गया था। एक स्तर पर, बहस शुरू होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनाव लड़ने में लगे कुछ वकीलों को शामिल करने के लिए मामले को स्थगित करने के लिए कहा। हमने मना कर दिया।

स्थगन क्योंकि हमारा विचार था कि अनुरोध उचित नहीं था और मामलों में देरी करने की दृष्टि से किया गया था। हम उल्लेख कर सकते हैं कि पहले प्रतिवादी ने कई दिनों तक अपने मामले पर पूरी तरह से बहस की। हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सामान्य है।

सभी मामलों में प्रक्रिया का पालन किया गया।

12. कथित अवमानकर्ताओं के अनुसार, उपरोक्त दोनों निर्णय अवमानना की धारा के लागू होने के बाद दिए गए हैं।

न्यायालय अधिनियम, 1971। वे निश्चित रूप से इनक्यूरियम के अनुसार नहीं हैं क्योंकि उनका निर्णय उस कानून के आधार पर किया गया है जो स्वीकार्य रूप से मौजूद है, लेकिन इस मामले के उद्देश्यों के लिए, हम कथित अवमानकों के तर्क को इस रूप में मानेंगे कि निर्णय अब अच्छा कानून नहीं हैं और इस न्यायालय को बाध्य नहीं करते हैं। कथित अवमानकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त दोनों मामलों को बाद के निर्णयों द्वारा खारिज कर दिया गया है। अब हम पक्षों द्वारा उद्धृत कुछ निर्णयों का उल्लेख करेंगे।

13. पी. एन. डूडा बनाम P.Shiv शंकर और अन्य प्रतिवादी, श्री पी. शिव शंकर, जो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे

और कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री ने एक भाषण दिया जिसे अवमानना कहा गया था। याचिकाकर्ता पी. एन. डूडा द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जो इस न्यायालय के वकील थे लेकिन इस न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया। शुरुआत में, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि अवमानना शुरू नहीं करने का कारण देते हुए, हालांकि इस न्यायालय ने माना कि अवमानना याचिका विचारणीय नहीं थी, लेकिन यह श्री पी. शिव शंकर द्वारा दिए गए भाषण के गुण-दोष पर गौर करता है और यह अभिनिर्धारित करता है कि

4 (1988) 3 एससीसी 167 [2020] 7 एस. सी. आर.

न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने और प्रशासन को बदनाम करने का कोई आसन्न खतरा नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि श्री पी. शिव शंकर इस न्यायालय की अवमानना के दोषी नहीं थे। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि क्या श्री डूडा की ओर से याचिका पर विचार किया जा सकता था। उक्त याचिका में श्री डूडा ने महान्यायवादी को पत्र लिखकर श्री पी. शिव शंकर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति मांगी थी। उक्त पत्र की एक प्रति भारत के सॉलिसिटर जनरल को भी भेजी गई थी। खोजते समय

सहमति, याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि अटॉर्नी जनरल को कानून मंत्री के अभियोजन के लिए सहमति देने में शर्म आ सकती है और उक्त आरोपों को देखते हुए, अटॉर्नी जनरल ने महसूस किया कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की विश्वसनीयता और अधिकार को कम किया गया था और इसलिए अभियोजन के लिए इनकार या मंजूरी नहीं दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहमति के बिना प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत का रुख नहीं कर सकता है। निर्णय का प्रासंगिक भाग

इस प्रकार पढ़ता हैः

" 39. न्यायालय की अवमानना का प्रश्न सी. के. डाफ्टरी बनाम के मामले में विचार के लिए आया। ओ पी गुप्ता। उस मामले में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत श्री सी. के. द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।

डाफ्टरी और तीन अन्य अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए प्रतिवादियों पर अवमानना करने का आरोप लगाया। वहाँ इस अदालत ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत इस अदालत को अपनी अवमानना के लिए और अनुच्छेद के तहत दंडित करने की शक्ति थी

143 (2) यह ऐसी किसी भी अवमानना की जांच कर सकता है। इस न्यायालय ने दोहराया कि संविधान ने इस न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अदालत की अवमानना के मौजूदा कानून के तहत कोई भी प्रकाशन जो न्याय के उचित पाठ्यक्रम या कानून के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए गणना की गई थी, अदालत की अवमानना के बराबर होगी। किसी निर्णय या पिछले आचरण के संबंध में किसी न्यायाधीश पर अपमानजनक हमले का हमारे देश में न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने का अपरिहार्य प्रभाव पड़ता है और यदि न्यायपालिका में विश्वास रहता है तो न्याय प्रशासन को निश्चित रूप से नुकसान होता है। उस मामले में एक पर्चे में अदालत की अवमानना के बयान होने का आरोप लगाया गया था।
चूंकि महान्यायवादी मामले में आगे नहीं बढ़े, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष और अन्य याचिकाकर्ताओं ने मामले को अदालत के संज्ञान में लाने का फैसला किया। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त राष्ट्रपति और बार के अन्य सदस्यों का कोई अधिकार नहीं है।

आरईः विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

इस अदालत ने माना कि अदालत स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष और अन्य याचिकाकर्ता अदालत की किसी भी अवमानना को अदालत के संज्ञान में लाने के पूरी तरह से हकदार थे। पहले प्रतिवादी ने यू. के. में लॉर्ड शॉक्रॉस समिति की सिफारिश का उल्लेख किया कि "कार्यवाही केवल तभी शुरू की जानी चाहिए जब अटॉर्नी जनरल अपने विवेक से उन्हें आवश्यक समझते हैं"। यह केवल इंग्लैंड में प्रचलित परिस्थितियों के आलोक में की गई एक सिफारिश थी। लेकिन ऐसा नहीं है।

भारत में कानून, इस न्यायालय ने दोहराया। यह स्वीकार करना होगा कि निर्णय 19 मार्च, 1971 को दिया गया था और भारत में वर्तमान अधिनियम 24 दिसंबर, 1971 को पारित किया गया था। इसलिए यह निर्णय नहीं हो सकता है। किसी भी तरह की सहायता करें। हमने सान्याल समिति पर ध्यान दिया है।

भारत में इस बारे में सिफारिशें की गईं कि महान्यायवादी को इससे क्यों जोड़ा जाना चाहिए, और उसके बाद यू. के. में 1974 में फिलिमोर समिति की रिपोर्ट आई। भारत में होने का कारण

महान्यायवादी की सहमति की जांच की गई और सान्याल समिति की रिपोर्ट द्वारा समझाया गया जैसा कि पहले देखा गया था।

14. कथित अवमानकर्ताओं ने तर्क दिया कि उक्त पैराग्राफ के अंतिम भाग से पता चलता है कि सी. के. डाफ्टरी के मामले में निर्णय (क) अवमानना अधिनियम के अधिनियमन से पहले दिया गया था।टीएस अधिनियम, 1971 अब लागू नहीं है। हालाँकि हम यह इंगित कर सकते हैं कि उसी निर्णय में अगले पैराग्राफ में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 40. श्री गांगुली ने इस निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जी. एन. वर्मा बनाम हरगोविंद दयाल

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अधिनियमन के बाद भी न्यायालय को लागू करना जारी रखा जाना चाहिए। इसलिए स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है और किसी निजी व्यक्ति द्वारा आवेदन में निहित जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन जनता के सदस्यों को भी अदालत का रुख करने का अधिकार है। अदालत के संज्ञान में लाने का वह अधिकार अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल द्वारा दी जा रही सहमति पर निर्भर करता है और यदि उस सहमति को बिना किसी कारण के या अधिनियम की धारा 15 के तहत किसी अन्य को दिए गए उस अधिकार पर विचार किए बिना रोक दिया जाता है जिसकी जांच की जा सकती है। व्यक्ति

अदालत में एक आवेदन। "[2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. कथित अवमानकर्ता उसी फैसले में न्यायमूर्ति रंगनाथन के सहमति वाले फैसले में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करते हैं। जिसमें उन्होंने अनिल कुमार गुप्ता बनाम मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले से निम्नलिखित मार्ग को मंजूरी दी है। के. सुब्बा राव और Ors.[3]:

" कार्यालय को इस बात पर ध्यान देना है कि भविष्य में यदि कोई जानकारी अदालत की अवमानना अधिनियम या संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कार्रवाई करने के लिए इस न्यायालय को आमंत्रित करने वाली याचिका के रूप में भी दर्ज की जाती है, जहां सूचना देने वाला उक्त अधिनियम की धारा 15 में नामित व्यक्तियों में से एक नहीं है, तो इसे याचिका के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए और इसे न्यायिक पक्ष में प्रवेश के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी याचिका को आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।

चैम्बर्स और मुख्य न्यायाधीश या तो स्वयं या न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से निर्णय ले सकते हैं कि सूचना का कोई संज्ञान लेना है या नहीं। कार्यालय को हड़ताल करने का निर्देश दिया गया है

"1973 की आपराधिक मूल संख्या 51" के रूप में जानकारी को हटा दें और

इसे फाइल करें "।

इसके बाद न्यायमूर्ति रंगनाथन ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 54 ..... मेरा मानना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश ऐसे मामलों में उचित प्रक्रिया निर्धारित करता है और कम से कम भविष्य में, इस न्यायालय द्वारा एक व्यवहार निर्देश के रूप में या एक नियम के रूप में अपनाया जा सकता है।

और अन्य उच्च न्यायालय "।

16. न्यायमूर्ति रंगनाथन द्वारा दिए गए निर्णय में उपरोक्त टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिका को न्यायिक पक्ष में प्रवेश के लिए नहीं रखा जा सकता था, बल्कि इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए था न कि किसी अन्य पीठ के समक्ष। हम प्रस्तुतिकरण से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। क्या न्याय है?

17. इस न्यायालय ने इस संबंध में नियम बनाए हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियम के रूप में जाना जाता है। 1975 (संक्षेप में 'नियम') और नियमों के नियम 3 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 3. में निर्दिष्ट अवमानना के अलावा अन्य अवमानना के मामले में

नियम 2, न्यायालय कार्रवाई कर सकता है -

((क) स्वतः ही, या

5 आईएलआर (1974) 1 डेल 1 आरईः

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

(ख) महान्यायवादी या महान्यायवादी द्वारा की गई याचिका पर,

या

(ग) किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर, और किसी अपराधी के मामले में

महान्यायवादी की लिखित सहमति से अवमानना

या महान्यायवादी। "

18. नियम 3 के केवल अवलोकन से पता चलता है कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने के 3 तरीके हैं। पहला स्वतः संज्ञान है, दूसरा अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई याचिका पर है, और तीसरा किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका के आधार पर है और जहां आपराधिक अवमानना शामिल है तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति आवश्यक है। नियम 4 और 5 में नियम 3 (बी) और 3 (सी) के तहत याचिका दायर करने का तरीका निर्धारित किया गया है। नियम 4 नियम 3 (बी) और 3 (सी) के तहत दायर की जाने वाली याचिका की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है और नियम 5 के लिए आवश्यक है कि नियम 3 (बी) या नियम 3 (सी) के तहत प्रत्येक याचिका को प्रारंभिक सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। नियम 6 के लिए नोटिस की आवश्यकता है

प्रपत्र I के संदर्भ में आरोपित व्यक्ति नियम 6 इस प्रकार हैः

" 6. (1) आरोपित व्यक्ति को सूचना प्रपत्र I में दी जाएगी। अभियुक्त व्यक्ति, जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा जैसा कि निर्धारित तिथि पर निर्देश दिया गया है।

कार्यवाही की सुनवाई, और सुनवाई के दौरान तब तक उपस्थित रहना जारी रखेगा जब तक कि कार्यवाही का अंत में आदेश द्वारा निपटारा नहीं किया जाता है।

अदालत से।

(2) जब याचिका पर कार्रवाई शुरू की जाती है, तो याचिका की एक प्रति

अनुलग्नक और शपथपत्र के साथ उन पर कार्य किया जाएगा

व्यक्ति ने आरोप लगाया। "

19. ये नियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 23 के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग और उन्हें भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधिसूचित किया गया है। 20. प्रीतम पाल बनाम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने पंजीयक के माध्यम से, इस न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 15. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 से पहले यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय के पास अवमानना से निपटने की अंतर्निहित शक्ति है -

स्वयं संक्षेप में और अपनी स्वयं की प्रक्रिया को अपनाने के लिए, बशर्ते कि यह अवमानकर्ता को बचाव करने के लिए एक उचित और उचित अवसर प्रदान करे

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार को संवैधानिक संशोधन से कम किसी भी कानून द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगेः

न्यायालयों की अवमानना से संबंधित कोई अन्य कानून। यह अनिवार्य रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि अनुच्छेद 129 और 215 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र को 1971 के अधिनियम में किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है।

21. दिल्ली न्यायिक सेवा संघ में, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली बनाम। गुजरात राज्य और इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुखदेव सिंह सोढ़ी (उपरोक्त) के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत निचली अदालतों की अवमानना के लिए दंडित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र या शक्ति है।

22. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठः विनय चंद्र मिश्रा ने इस मुद्दे पर कानून पर विस्तार से चर्चा की। अदालत ने प्रतिवादी को अवमानना के लिए दोषी ठहराते हुए न केवल उसे 6 सप्ताह की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे निलंबित कर दिया गया था, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत इस अदालत में निहित शक्तियों पर भरोसा करते हुए उसकी वकालत को 3 साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया था।

23. अब हम संविधान के कुछ अन्य प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं, प्रविष्टि 77, सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) निम्नानुसार हैः

" 77. उच्चतम न्यायालय का संविधान, संगठन, अधिकारिता और शक्तियाँ (ऐसे न्यायालय की अवमानना सहित), और शुल्क

7 (1991) 4 एस. सी. सी. 406

8 (1995) 2 एससीसी 584 आरईः

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

उसमें लिया गया; सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने के हकदार व्यक्ति

अदालत "।

प्रविष्टि 14, समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची की सूची III) इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः

" 14. न्यायालय की अवमानना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना सहित नहीं

अदालत "।

उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। धारा 15 के संज्ञान से संबंधित है

24. विनय चंद्र मिश्रा के मामले (उपरोक्त) में फैसले की शुद्धता पर इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम. भारत संघ '। हम उस फैसले के कुछ हिस्सों का विस्तार से उल्लेख करेंगे। यह कि संविधान पीठ का निर्णय बाध्यकारी है और अन्य सभी निर्णय जो इसके विपरीत विचार रखते हैं, उन्हें सही नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम स्वयं निर्णय पर विचार करें, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा। धारा 2 "अदालत की अवमानना", "दीवानी अवमानना", "आपराधिक अवमानना" और "उच्च न्यायालय" को परिभाषित करने वाला परिभाषा खंड है। धारा 3 से 5 के बारे में 9 9 (1998) 4 एससीसी 409 [2020] 7 एस. सी. आर.

निर्दोष प्रकाशन, न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग और न्यायिक अधिनियम की निष्पक्ष आलोचना, जो अवमानना के बराबर नहीं है। धारा 10 और 11 अवमानना के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित हैं। धारा 12 (2) में प्रावधान है कि कोई भी अदालत धारा 12 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सजा से अधिक सजा नहीं देगी। धारा 13 में प्रावधान है कि किसी भी अदालत को अवमानना के लिए अधिनियम के तहत सजा तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि अवमानना ऐसी प्रकृति की है कि यह न्याय के नियत पाठ्यक्रम में पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करती है या पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि सत्य को एक वैध बचाव के रूप में उठाए जाने की अनुमति दी जा सकती है यदि अदालत संतुष्ट है कि बचाव जनहित में उठाया गया है और एक प्रामाणिक बचाव है। धारा 14 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की अदालत की अवमानना से निपटने की शक्तियों से संबंधित है। हम पहले ही धारा 15 पर विचार कर चुके हैं जो न्यायालय के समक्ष अवमानना के अलावा अन्य आपराधिक अवमानना के संज्ञान से संबंधित है। धारा 17 संज्ञान के बाद की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि में ही हमें संविधान पीठ के फैसले को पढ़ना और उसका विश्लेषण करना है।

25. संविधान पीठ ने अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लेख किया

129 भारत के संविधान और सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 77 और सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 14 और उसके बाद, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 18. सूची I की प्रविष्टि 77 और सूची III की प्रविष्टि 14 की भाषा

सातवीं अनुसूची दर्शाती है कि की विधायी शक्ति

संसद और राज्य विधानमंडल के साथ कानून बनाने का विस्तार

न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामलों के संबंध में

सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हालांकि, के अधीन

अवमानना के लिए दंडित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 129 या उस शक्ति को किसी अन्य न्यायालय में निहित करें। "

(जोर दिया गया)

26. इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उल्लेख करते हुए कहा कि निम्नलिखित हैः

“ 21. इस प्रकार यह देखा जाता है कि इस न्यायालय की शक्ति के संबंध में

अवमानना सहित किसी भी अवमानना की जांच या सजा

स्वयं, स्पष्ट रूप से किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन बनाया गया है संसद द्वारा इस संबंध में अनुच्छेद 142 (2) द्वारा किया गया। हालांकि,

आर. ई. के न्यायालय में निहित अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तिः

विजय कर्ले और हमारा।

[दीपाक गुप्ता, जे।]

अभिलेख, यह इस प्रकार है कि संसद का कोई भी अधिनियम अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अभिलेख न्यायालय के उस अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को छीन नहीं सकता है

और इस विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति,

इसलिए, इस तरह से प्रयोग किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय और/या उच्च न्यायालयों की स्थिति और गरिमा को कम किया जा सके, हालांकि ऐसा कानून

प्रकृति के निर्धारण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है

सजा जो यह न्यायालय स्थापित अवमानना के मामले में लागू कर सकता है। संसद ने इससे संबंधित कोई कानून नहीं बनाया है

जाँच के संबंध में उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ और

स्वयं की अवमानना की सजा, (हम धारा 15 का उल्लेख करेंगे)

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971, बाद में) और इसलिए यह न्यायालय इसके लिए जाँच करने और दंडित करने की शक्ति का प्रयोग करता है।

अनुच्छेदों के तहत निहित शक्तियों के आधार पर खुद की अवमानना

129 और भारत के संविधान की धारा 142 (2)।

27. इस न्यायालय ने तब के प्रावधान का संदर्भ दिया

न्यायालय अधिनियम, 1926, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1952 और

न्यायालय अधिनियम, 1971 और उसके बाद निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः

" 29. 1926 के अधिनियम की धारा 2 की तरह 1971 के अधिनियम की धारा 10 और

1952 के अधिनियम की धारा 4 उस शक्ति को मान्यता देती है जो

अदालत के पास पहले से ही सजा देने के लिए रिकॉर्ड की अदालत है स्वयं की अवमानना, जिसके अधिकार क्षेत्र में अब अनुच्छेद 215 के आधार पर भी संविधान की मंजूरी है। हालाँकि, यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना करने के लिए अवमानना करने वाले पर मुकदमा चलाने या दंडित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित नहीं है और केवल संविधान के अनुच्छेद 142 (2) और 129 में निहित संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है -

विषय "। 28. निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा।

संविधान पीठः

" 38. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, संसद प्रविष्टि 77 सूची I के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कानून बनाने में सक्षम है।

स्वयं की अवमानना के संबंध में न्यायालय और ऐसा कानून सजा की प्रकृति निर्धारित करें जो एक पर लगाई जा सकती है

साथ पठित अनुच्छेद 129 के प्रावधानों के आधार पर अवमानक

अनुच्छेद 142 (2)। चूंकि, संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है,

अवमानना के तहत निर्धारित सजा की प्रकृति

न्यायालय अधिनियम, 1971 उच्चतम न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है लेकिन उस अधिनियम के तहत निर्धारित सजा की सीमा [2020] 7 एस. सी. आर. लागू हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल उच्च न्यायालयों के लिए, क्योंकि 1971 का अधिनियम वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है, सिवाय इसके कि

कि अधिनियम की धारा 15 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के लिए प्रक्रियात्मक तरीका निर्धारित करती है। हालाँकि, धारा 15 एक मूल प्रावधान नहीं है जो प्रदान करता है। अवमानना क्षेत्राधिकार। सुखदेव सिंह मामले में निर्णय (ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 186:1954 एस. सी. आर. 454) "अधिकतम सजा" की सीमा के संबंध में जो अवमानना करने वाले पर लगाई जा सकती है,

इसलिए, उच्च की शक्तियों से निपटने के रूप में माना जाए केवल न्यायालय और उस ओर से इस न्यायालय का नहीं। इसलिए, हमें विद्वान अधिवक्ता के तर्क की वैधता पर संदेह है।

सामान्य तौर पर यह कि उच्चतम न्यायालय अपनी और/या अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो सजा दे सकता है, वह केवल अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत निर्धारित सीमा तक ही हो सकती है। हालाँकि, हम उस प्रश्न पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि वह मुद्दा, कड़ाई से बोलते हुए, इस मामले में हमारे निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होता है। सजा की सीमा पर प्रतिबंध या सीमा के बारे में प्रश्न, जिसे यह न्यायालय अपनी अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए प्रदान कर सकता है, इस तरह उठाए जाने पर एक उचित मामले में निर्णय लिया जा सकता है।

XXX

XXX

XXX

" 40 ..... अनुच्छेद 129 का अधिकार क्षेत्र नहीं ले सकता है

बार काउंसिल ऑफ द स्टेट या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति एक वकील को उसके लाइसेंस को निलंबित करके दंडित करने के लिए, जो सजा केवल एक निष्कर्ष के बाद ही दी जा सकती है

" पेशेवर कदाचार "अधिवक्ता अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित तरीके से दर्ज किया जाता है।"

XXX

XXX

XXX

" 43. न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, हालांकि काफी व्यापक है, अभी भी सीमित है और यह निर्धारित करने की शक्ति को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि क्या कोई अधिवक्ता भी संक्षिप्त तरीके से "पेशेवर कदाचार" का दोषी है, जिससे अधिवक्ता अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया को मंजूरी मिलती है। अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति एक तरह से सुधारात्मक शक्ति है, जो कानून पर समानता को प्राथमिकता देती है, लेकिन इसका उपयोग किसी पेशेवर वकील को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में निहित उचित प्रक्रिया से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

एक के साथ व्यवहार करते समय संक्षिप्त तरीके से अभ्यास करने का लाइसेंस अदालत की अवमानना का मामला "।

XXX

XXX

XXX

" 57. एक मामले में, एक वकील को अपराध करने का दोषी पाया गया अदालत की अवमानना "पेशेवर" कार्य करने का भी दोषी हो सकता है।

दुराचार ", उसकी गंभीरता या प्रकृति के आधार पर

दूषित आचरण, लेकिन दोनों क्षेत्राधिकार अलग हैं और

अलग-अलग मंचों द्वारा अलग और प्रयोग करने योग्य

और विशिष्ट प्रक्रियाएँ। द्वारा एक अधिवक्ता को दंडित करने की शक्ति उसके लाइसेंस को निलंबित करना या उसकी सूची से उसका नाम हटा देना।

सिद्ध पेशेवर दुराचार के लिए राज्य बार काउंसिल निहित है विशेष रूप से इसके तहत बनाए गए वैधानिक प्राधिकरणों में

अदालत की अवमानना करना विशेष रूप से अदालतों में निहित है। 29. संविधान पीठ के फैसले का सावधानीपूर्वक विश्लेषण छोड़ देता है

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 15 अवमानना क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाला एक ठोस प्रावधान नहीं है। संविधान पीठ ने अंततः छोड़ दिया

सवाल यह है कि क्या अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम सजा

सुप्रीम कोर्ट को खुला रखता है। ऊपर उल्लिखित पैरा 38 में की गई टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि संविधान पीठ का विचार था कि अधिनियम में निर्धारित दंड केवल एक दिशानिर्देश हो सकता है और इससे अधिक कुछ नहीं। इस निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों को कि न्यायालय ने विनय चंद्र मिश्रा के मामले (उपरोक्त) में 3 साल की अवधि के लिए वकालत के अधिकार को छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 129 किसी अधिवक्ता को दंडित करने के लिए राज्य की बार काउंसिल या भारतीय बार काउंसिल के अधिकार क्षेत्र को नहीं ले सकता है। हमारी राय में इन टिप्पणियों को ऊपर उद्धृत अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संविधान पीठ ने कहा कि "संसद ने जांच और स्वयं की अवमानना की सजा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कोई कानून नहीं बनाया है"। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 अवमानना प्रदान करने वाला मूल प्रावधान नहीं है अधिकारिता और इसलिए, विशेष रूप से जहां तक स्वतः संज्ञान अवमानना का संबंध है, यह केवल एक प्रक्रियात्मक धारा है। इस प्रकार

यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियां अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं हैं। इसलिए, एकमात्र आवश्यकता एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करना है जो न्यायसंगत, निष्पक्ष और अनुरूप हो।

इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. जहाँ तक पल्ले सेठ बनाम के मामले में की गई टिप्पणियों का संबंध है। अभिरक्षक और Ors.[1]0 संबंधित हैं, उस मामले में यह न्यायालय केवल इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या अदालत की अवमानना अधिनियम में निर्धारित सीमा समाप्त होने के बाद अवमानना शुरू की जा सकती है और उसमें की गई टिप्पणियों को केवल उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। पल्लव सेठ के मामले (ऊपर) के पैरा 30 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" 30. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अभिलेख न्यायालय हैं और संविधान ने उन्हें अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियां दी हैं। इस न्यायालय के निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस शक्ति को निरस्त या कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति निरपेक्ष है तो क्या कोई ऐसा कानून हो सकता है जो इस तरीके और हद तक इंगित करता है कि शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? यदि कानून का कोई प्रावधान है जो अनुच्छेद 129 और/या अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति को बाधित या निरस्त करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस तरह के कानून को वैध रूप से अधिनियमित नहीं माना जाना चाहिए। हालाँकि, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अवमानना के कार्य के रूप में या यहां तक कि अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि के प्रावधान के रूप में दंड की मात्रा का प्रावधान एक प्रावधान के रूप में नहीं लिया जा सकता है जो अवमानना को निरस्त या बाधित करता है।

संविधान के अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 215 के तहत अधिकार क्षेत्र।

परिसीमन का मतलब यह नहीं होगा कि अनुच्छेद 129 के तहत न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया गया है या निरस्त कर दिया गया है। हम इस निर्णय की शुद्धता या अन्यथा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह निर्णय केवल इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या संसद अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि तय कर सकती है। पल्लव सेठ के मामले (ऊपर) पर किसी न किसी तरह से टिप्पणी किए बिना यह स्पष्ट है कि इसने अवमानना का स्वतः संज्ञान नोटिस जारी करने की इस अदालत की शक्तियों पर विचार नहीं किया है। 31. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अवमानना शुरू करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किसी भी तरह से अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं हैं। यह न्यायालय अवमानना से निपटने के लिए संवैधानिक शक्तियों के साथ निहित है। धारा 15 नहीं है

10 2001 (7) एस. सी. सी. 549 आर. ई.:

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

अवमानना के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति का स्रोत। यह केवल उस प्रक्रिया का प्रावधान करता है जिसमें इस तरह की अवमानना शुरू की जानी है और यह प्रक्रिया प्रदान करती है कि अवमानना शुरू करने के तीन तरीके हैं-(i) स्वतः

(ii) महाधिवक्ता/महान्यायवादी/महान्यायवादी के प्रस्ताव पर और (iii) किसी अन्य द्वारा दायर याचिका के आधार पर।

महाधिवक्ता/महान्यायवादी/महान्यायवादी की लिखित सहमति वाला व्यक्ति। जहाँ तक स्वतः संज्ञान याचिकाओं का संबंध है, किसी की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय अवमानना के लिए नोटिस जारी करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। यह न केवल अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है, बल्कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों से भी स्पष्ट है।

नोटिस जारी करने पर आपत्तियाँ

32. कथित अवमानकर्ताओं ने आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किए हैं

उन्हें जारी किए गए नोटिस। अपने दिनांकित 09.12.2019 आदेश के माध्यम से हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम आवेदन और मुख्य याचिका दोनों पर एक साथ काम कर रहे हैं। आरोपमुक्त करने का मुख्य आधार यह है कि भेजा गया नोटिस अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के अपने नियम हैं और फॉर्म I में नोटिस जारी करने का तरीका निर्धारित किया गया है। वही इस प्रकार हैः

" फॉर्म I

प्रतिभागी के साथ चार्ज किए गए व्यक्ति को सूचना

अदालत का

(नियम 6 देखें)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

(मूल क्षेत्राधिकार)

जबकि शुल्क का जवाब देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

द्वारा न्यायालय की अवमानना (यहाँ अवमानना की प्रकृति को संक्षेप में बताएँ)।

आपको व्यक्तिगत रूप से (या अधिवक्ता द्वारा) उपस्थित होने की आवश्यकता है।

यदि न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है) नई दिल्ली में इस न्यायालय के समक्ष

..... 20 का दिन. 10.30 बजे

द.

पूर्वाह्न।

आप उस दिन व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होंगे।

20.....
.....। और
जब तक आपके खिलाफ आरोप पर अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाते।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें असफल नहीं होता।

20 का दिन।

यह तारीख दी।

(सील)

पं

जीकृत करें

* जहाँ आरोपित व्यक्ति को अनुमति दी जाती है या आदेश दिया जाता है, वहाँ छोड़ दिया जाना

अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होना। "

नियमों और प्रपत्र की एकमात्र आवश्यकता यह है कि

अवमानना की प्रकृति प्रपत्र में बताई जानी चाहिए। प्रपत्र के साथ सभी दस्तावेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस आदेश से अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी, उसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अवमानना शुरू करने के आधार आदेश में ही परिलक्षित हुए थे। यह आदेश था मान लिया कि कथित अवमानकों को भेजा गया। इसलिए, हमारी राय में, सूचना पूरी तरह से प्रपत्र-1 के अनुसार थी, जिसमें केवल यह आवश्यक है कि सूचना में अवमानना की प्रकृति को संक्षेप में बताया जाना चाहिए। एक बार आदेश को नोटिस के साथ जोड़ा गया जो नोटिस का ही हिस्सा बन गया। किसी भी स्थिति में, किसी भी दस्तावेज़ की आपूर्ति न करना केवल एक अनियमितता होगी और मामले की जड़ तक जाने वाली अवैधता नहीं होगी। अवमानना का नोटिस जारी करने के लिए केवल श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान द्वारा भेजी गई शिकायतें ही आधार हैं जो बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के पत्र के साथ संलग्न की गई थीं। सभी अनुलग्नकों के साथ बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के पत्र

उक्त पत्र के साथ संलग्न कथित अवमानकर्ताओं को आपूर्ति की गई है और उन्हें इन सभी दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस अदालत ने स्पष्ट किया था कि कथित अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान द्वारा दो शिकायतों में लगाए गए आरोपों तक ही सीमित है। जिनके वे लेखक हैं। चूंकि इस न्यायालय ने किसी अन्य दस्तावेज पर भरोसा नहीं किया है, इसलिए हम यह नहीं देखते हैं कि नोटिस के साथ दस्तावेजों की आपूर्ति न होने से कथित अवमानकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह कैसे पैदा हुआ है। इस न्यायालय के नियमों के अनुसार, नोटिस केवल अवमानना की प्रकृति को संक्षेप में बताने के लिए था और आदेश में ही श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान की शिकायतों का संदर्भ दिया गया है। तदनुसार हम तर्क में कोई योग्यता नहीं देखते हैं।

कथित अवमानकों का कि सूचना इस न्यायालय के नियमों के अनुरूप या प्राकृतिक न्याय या निष्पक्ष प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी। तदनुसार, हम विवाद को अस्वीकार करते हैं और आरई मानते हैं:

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

कि नोटिस एक कानूनी और वैध नोटिस था। नतीजतन, नोटिस के निर्वहन के लिए आवेदन भी खारिज कर दिए जाते हैं।

क्या इन कार्यवाहियों को स्वतः संज्ञान कहा जा सकता है?

33. कथित अवमानकों का अगला तर्क यह है कि वर्तमान मामले में कार्यवाही स्वतः संज्ञान कार्यवाही नहीं है और,

अतः महान्यायवादी या महान्यायवादी की सहमति के बिना विचार नहीं किया जाना चाहिए था। कथित अवमाननाकर्ताओं ने

बसु बनाम। कल्लोल गुहा ठाकुरता और एक अन्य "। उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया था। हमारे विचार में, उस निर्णय की यहाँ कोई प्रयोज्यता नहीं है। उस मामले के तथ्य यह थे कि प्रत्यर्थियों द्वारा (सर्वोच्च न्यायालय में) एक अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी (सर्वोच्च न्यायालय में) ने जानबूझकर और जानबूझकर अपमानजनक, मानहानिकारक और गंदे बयान दिए थे

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ। जिस खंड पीठ के समक्ष मामला रखा गया था, उसने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" 7. सुना है।

श्री अली को सुनने के बाद, विद्वान वकील ने इस याचिका को आगे बढ़ाया और बारतमान दिनांक 5-10-2003 के मुद्दे पर विचार किया, हम हैं

यह विचार कि एक नियम जारी किया जाए। नियम को वापस करने योग्य बनाया गया है

7-11-2003 .

हालाँकि, यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि इसके अभिलेख

मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है किसी भी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए इस नियम का समनुदेशन कि

माननीय मुख्य न्यायाधीश उचित और उचित सोच सकते हैं।

इस न्यायालय के समक्ष जो मुख्य मुद्दा उठा वह यह था कि क्या उसमें अपीलार्थी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी।

उच्च न्यायालय द्वारा या प्रत्यर्थियों द्वारा। मामले में पारित आदेश की भाषा को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी और इसलिए पी. एन. डूडा (ऊपर) और बाल ठाकरे बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया था। हरीश पिंपलकूते और ओआरएस "। 2 यह अभिनिर्धारित किया गया कि अवमानना याचिका की सहमति के बिना दायर नहीं की जा सकती थी महाधिवक्ता। न्यायालय ने आगे कहा कि अभिलेख से यह

11 (2010) 8 एस. सी. सी. 673 12 2005 (1) एससीसी 254 [2020] 7 एस. सी. आर.

यह स्पष्ट था कि प्रतिवादी को हमेशा अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में दिखाया गया था और इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो संकेत देता हो कि कार्यवाही स्वतः शुरू की गई थी।

34. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह न्यायालय पत्र पर ध्यान देने के बाद

यह पत्र और शिकायतों में की गई प्रार्थनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने के बाद श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान की दोनों शिकायतों में लगाए गए आरोपों के साथ यह विचार था कि पीठ के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप निंदनीय प्रकृति के थे और

इसलिए, कथित अवमानकों और श्री नेदुमपारा के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, जिन्हें तब से आरोपमुक्त कर दिया गया है। कथित अवमानकर्ता मूल रूप से आग्रह कर रहे हैं कि आदेश में "सुओ मोटो" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हमारी राय में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिनांकित 27.03.2019 आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" दायर की गई दो शिकायतों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस पीठ के सदस्यों के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाए गए हैं। इसलिए हम (1) श्री विजय कुर्ले; (2) श्री राशिद खान पठान; (3) श्री नीलेश ओझा और (4) श्री मैथ्यूज नेदुमपारा को यह समझाने के लिए अवमानना का नोटिस जारी करते हैं कि उन्हें क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए दंडित,

आज से दो सप्ताह के भीतर वापसी योग्य।

जब हम उपरोक्त आदेश को समग्र रूप से पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने स्वयं शिकायतों का संज्ञान लिया और उसके दस्तावेजों के साथ-साथ उसमें लगाए गए आरोप।

35. अवमानना मूल रूप से न्यायालय और न्यायालय के बीच का मामला है।

सम्माननीय। कोई भी व्यक्ति अदालत की अवमानना के बारे में सूचित कर सकता है। यदि उसे एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया जाना है तो अवमानना उसके नाम पर होगी, लेकिन जब न्यायालय उसे एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यायालय सूचना के आधार पर स्वयं अवमानना का स्वतः संज्ञान ले सकता है। वर्तमान मामले में, अदालत ने स्वयं सूचना के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया

इसके बाद अवमानना और मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया। इस मामले को शुरू से ही स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इस तरह से निपटा गया है। 36. बिमान बसु के मामले (ऊपर) में न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के फैसलों को संदर्भित करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दियाः

आरईः विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

तथ्यों को प्रस्तुत करके आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करना के नोटिस के लिए आपराधिक अवमानना आयोग का गठन करना

अदालत। लेकिन एक बार जब उन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा जाता है, तो यह यह न्यायालय और अवमानकर्ता के बीच का मामला बन जाता है। लेकिन

आवेदन या याचिका दायर करने वाला ऐसा व्यक्ति एक नहीं बन जाता है कार्यवाही में शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता। उसका कर्तव्य समाप्त होता है

न्यायालय के समक्ष रखे जा रहे तथ्य। न्यायालय में हो सकता है

अपने विवेकानुसार उपयुक्त मामलों में निजी पक्ष या वादी की आवश्यकता होती है। के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए न्यायालय को स्थानांतरित करना

कार्यवाही "।

XXX

XXX

XXX

" 28. हाथ में मामले में, यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है,

उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं के रूप में दिखाया जाना जारी रखा गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना का मामला और पूरे समय भाग लिया

मानो वे अपीलार्थी पर मुकदमा चला रहे हों। कोई आदेश नहीं है यह दर्शाता है कि न्यायालय ने दी गई जानकारी पर ध्यान दिया है

इससे पहले, इस आधार पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की गई थी कि

जानकारी प्रस्तुत की गई और उत्तरदाताओं को केवल सहायता करने की आवश्यकता थी

मामले के निपटारे तक न्यायालय। इसके विपरीत, अवमानना मामले में प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के रूप में दिखाया गया है

उच्च न्यायालय के समक्ष। इस प्रकार यह स्पष्ट है, यह उत्तरदाता हैं जो

कार्यवाही शुरू की और वही जारी रखा लेकिन इसके बिना

कानून में आवश्यक महाधिवक्ता की लिखित सहमति।

इसलिए, कार्यवाही स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य नहीं थी। 37. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान मामले में बॉम्बे बार

एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी को कभी भी याचिकाकर्ता के रूप में नहीं दिखाया गया है। बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे निगमित कानून के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया पत्र समाज को अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए इस न्यायालय को संबोधित नहीं किया गया है। इन पत्रों को भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया गया था और इसमें की गई प्रार्थना यह थी कि भारतीय बार एसोसिएशन और मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की शिकायतों को खारिज कर दिया जाए। अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। इन पत्रों में रखा गया था

इस न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यालय और उसमें किए गए कथनों पर ध्यान देने के बाद उन्होंने अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष की शिकायतों और पत्र को पढ़ने पर एक स्वतः संज्ञान कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए इसे अटॉर्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता वाली अवमानना याचिका नहीं कहा जा सकता है।

जी उनके अपने कारण में

38. अब हम कथित लोगों के तर्कों पर विचार करेंगे।

अवमानकर्ताओं ने कहा कि पीठ मामले को उसके समक्ष रखे बिना नोटिस जारी नहीं कर सकती थी और आगे यह कि यह उनके अपने मामले में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के बराबर है। इस संबंध में कई निर्णयों का उल्लेख किया गया है लेकिन हमें उन सभी का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। कथित अवमानकों द्वारा न्याय के फैसले पर मजबूत निर्भरता रखी जाती है।

पी. एन. डूडा के मामले (ऊपर) में रंगनाथन ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जा रही प्रथा का इस न्यायालय में भी पालन किया जाना चाहिए। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं और इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, वे प्रेक्षण आज्ञाकारी प्रकृति के थे और उक्त प्रेक्षण वैधानिक नियमों पर हावी नहीं हो सकते।

39. यह सच है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का प्रमुख होता है और सामान्य तौर पर किसी मामले को केवल इस आधार पर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है

मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश। लेकिन यहां की स्थिति बिल्कुल अलग है। पीठ पहले से ही सुओ मोटू अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) पर विचार कर रही थी। 2019 का नंबर 1। बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे निगमित कानून के अध्यक्ष का पत्र सोसायटी को बेंच के सामने रखा गया था। इस पत्र के साथ श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान द्वारा दायर शिकायतों को संलग्न किया गया था। पीठ ने इन दोनों शिकायतों में लगाए गए आरोपों का स्वतः संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। इसके बाद, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस सिद्धांत के अनुसार कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं, पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर, समकक्षों में पहले स्थान पर है और सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश इस न्यायालय का उतना ही हिस्सा है जितना कि माननीय मुख्य न्यायाधीश। इस न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो एक संवैधानिक शक्ति है जिसे किसी भी अदालत द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

इसके विपरीत नियम या परिपाटी। फिर भी, पीठ ने मास्टर ऑफ द रोस्टर के सिद्धांत का सम्मान करते हुए, कथित अवमानकर्ताओं की शिकायतों में लगाए गए निंदनीय आरोपों का संज्ञान लेने और उन्हें नोटिस जारी करने के बाद निर्देश दिया कि मामले को आरई के समक्ष रखा जाए:

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए। यह,

हमारे विचार में, यह उचित प्रक्रिया है। यदि कोई लेख, पत्र या कोई लेखन या इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया या किसी अन्य मंच पर प्रसारित कुछ दृश्य भी इस न्यायालय के किसी न्यायाधीश के ध्यान में लाया जाता है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि आरोप अवमाननापूर्ण है या अदालत को बदनाम करता है, तो वह न्यायाधीश निश्चित रूप से नोटिस जारी कर सकता है और उसके बाद इसे उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रख सकता है।

बेंच।

40. कथित अवमानकर्ताओं ने डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम के फैसले पर भरोसा किया है। केरल राज्य और अन्य। 1 3 जिसमें यह था

यह मत व्यक्त किया कि ऐसी याचिकाओं पर प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष व्यक्तिगत लेखन रखा जाना चाहिए। यह आयोजित किया गया थाः

" 71. ..... किसी विशेष न्यायाधीश को संबोधित व्यक्तिगत पत्र, यदि कोई हों, तो ऐसी याचिकाओं पर प्रस्तावित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक न्यायाधीश अपने लिए यह निर्णय नहीं ले सकता है कि कानून को लागू करने के लिए किस संचार पर विचार किया जाना चाहिए, चाहे वह जनहित याचिका में हो या किसी भी अधिकार क्षेत्र में।

शुरुआत में, हम ध्यान दे सकते हैं कि ये टिप्पणियां जनहित याचिकाओं के संदर्भ में की गई थीं, न कि अवमानना याचिकाओं के लिए। और इस न्यायालय की स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की अधिकारिता एक बहुत व्यापक अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि पत्र पीठ के सदस्यों को संबोधित किया गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया पत्र के अध्यक्ष को संबोधित किया गया था

भारत, इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संभवतः यह प्रमुख का कार्यालय रहा होगा।

न्यायमूर्ति जिन्होंने पीठ को पत्र भेजे। किसी भी मामले में, इसका इस मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा स्पष्ट मत है कि पीठ बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इंकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र पर ध्यान देना पूरी तरह से उचित था

और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान द्वारा भेजी गई शिकायतें शामिल थीं। नोटिस जारी करने के बाद पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। यह वैध और उचित है।

प्रक्रिया और पीठ ने अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया। केवल नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद मामला इस पीठ को सौंपा गया था।

13 (2008) 3 एस. सी. सी 542 [2020] 7 एस. सी. आर.

सूचना का स्रोत

41. एक अन्य तर्क यह है कि पीठ को यह खुलासा करना चाहिए था कि उसे जानकारी कहां से मिली। कथित अवमानकर्ताओं ने इस संबंध में कई फैसलों का हवाला दिया है। सी. के. डाफ्टरी के मामले में सूचना के स्रोत के प्रकटीकरण के मुद्दे से निपटना (ऊपर)

इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 79 ..... प्रथम उत्तरदाता ने कहा कि सूचना के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है। याचिका के पैरा 2 में कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। इस न्यायालय में और यह आवश्यक नहीं था कि सूचना के किसी और स्रोत का खुलासा किया गया हो। जहाँ तक पैरा 3 और 4 का संबंध है, पहला प्रतिवादी स्वीकार करता है कि उसने संसद के सदस्यों से संपर्क किया था

न्यायमूर्ति शाह के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दायर करने के लिए। इसे "अभियान" कहना केवल एक शब्द में उनकी गतिविधियों का वर्णन करना है। इसे सख्ती से अभियान कहा जाना चाहिए या नहीं, यह बात से परे है। पैरा 5 में उल्लिखित आवश्यक तथ्यों को प्रथम प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह तथ्य कि सूचना के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया था, हमें तथ्यों को लेने से नहीं रोकता है। विचार करें। पैरा 5 का अंतिम वाक्य। , " जैसा कि याचिकाकर्ताओं का मानना है कि उक्त पर्चे को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जनता को बेचा या बिक्री के लिए पेश किया गया था, यह विश्वास की बात है। पैरा 6 में निष्कर्ष और प्रस्तुतियाँ हैं जिनके संबंध में कोई नहीं था

सूचना के स्रोत का खुलासा करने का प्रश्न। पैरा 7 में पुस्तिका या पर्चे के उद्धरण हैं जो एक अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए गए थे। दस्तावेज़ संलग्न किए जाने को देखते हुए यह आवश्यक नहीं था कि पैरा 7 के बारे में जानकारी के स्रोत का खुलासा किया जाना चाहिए था। याचिका के पैरा 9 में लगाए गए आरोपों का समर्थन अधिवक्ता श्री बी. पी. सिंह के एक हलफनामे द्वारा किया गया है, जिन्होंने सत्यापित किया है कि उनके हलफनामे की सामग्री उनके लिए सही है।

ज्ञान "।

42. हम यह समझने में विफल हैं कि श्री विजय कुर्ले कैसे आग्रह कर सकते हैं कि सूचना के स्रोत का खुलासा किया जाना चाहिए। उनकी शिकायत का निपटारा किया जाता है।

अन्य सभी के बीच इस न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, जिसमें स्पष्ट रूप से दो न्यायाधीश शामिल हैं जो पीठ के सदस्य हैं।

43. तत्काल मामले में, जानकारी का खुलासा उसी क्रम में किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाता है कि कार्रवाई की गई है।

बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी आरई के अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गयाः

विजय कर्ले और हमारा।

[दीपाक गुप्ता, जे।]

पत्र और न केवल बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष के पत्र पर ध्यान देने के बाद, बल्कि कथित अवमानकों द्वारा भेजी गई दोनों शिकायतों के प्रार्थना खंड और अदालत में लगाए गए निंदनीय आरोपों पर भी ध्यान देने के बाद। शिकायतें, नोटिस जारी किया गया था। जानकारी का स्रोत बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया पत्र है, जैसा कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने के आदेश से स्पष्ट है। इसलिए, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

आलोचना करने की स्वतंत्रता

44. इन आरोपों से निपटने से पहले निर्णयों की निष्पक्ष आलोचना के संबंध में कानून निर्धारित करना उचित होगा।

अदालत। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि प्रत्येक नागरिक को इस न्यायालय के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 19 जो देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, उसे वह उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए जिसका वह हकदार है। हालाँकि, साथ ही, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड (2) यह भी स्पष्ट करता है कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार उचित प्रतिबंध लगाने के लिए मौजूदा कानूनों के अधीन है, जहाँ तक कि ऐसा कानून अदालत की अवमानना से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस अधिकार को अवमानना के कानूनों के अधीन बनाया गया है जिसमें न केवल अदालत की अवमानना अधिनियम शामिल होगा, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 (2) के तहत अवमानना के लिए दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां भी शामिल होंगी।

इसी तरह की शक्तियां उच्च न्यायालयों के पास निहित हैं।

45. अवमानना का कानून बनाने का उद्देश्य निष्पक्ष आलोचना को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सम्मान और विश्वास मिले। न्यायिक प्रणाली में इस देश की स्थिति को किसी भी मामले में कम नहीं किया गया है

किसी भी तरह से। यदि न्याय की संस्था में नागरिकों का विश्वास टूट जाता है तो न केवल न्यायपालिका, बल्कि लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। अदालतों द्वारा अवमानना शक्तियों का बहुत कम उपयोग किया गया है और यह सही भी है। इस न्यायालय के कंधे आलोचना का सामना करने के लिए पर्याप्त चौड़े हैं, यहां तक कि आलोचना भी जो निष्पक्ष आलोचना के मापदंडों से परे हो सकती है। तथापि, यदि आलोचना न्यायालयों की संस्था की गरिमा को कम करने के लिए और न केवल न्यायाधीशों, बल्कि न्यायालयों की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से की जाती है, तो यदि इस तरह के प्रयासों को रोका नहीं जाता है तो परिणाम विनाशकारी होंगे।

न्यायालय अवमानना अधिनियम स्वयं यह प्रावधान करता है कि किसी भी मामले के गुण-दोष पर किसी भी निष्पक्ष टिप्पणी का प्रकाशन, जिसकी सुनवाई की गई है और अंत में निर्णय लिया गया है, अवमानना के बराबर नहीं है। 46. डॉ. डी. सी. सक्सेना बनाम भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश 1 4 ने बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, जिन्हें हमें संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है, इस न्यायालय ने कहा कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन समाज के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 के अपवादों के संदर्भ में ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करना भी उतना ही आवश्यक है।

संविधान। न्यायपालिका सहित किसी भी संस्थान की ईमानदारी से आलोचना का हमेशा स्वागत है। फैसलों की स्वस्थ और रचनात्मक आलोचना अदालत की अवमानना नहीं हो सकती। हालांकि, अगर लगाए गए आरोप आलोचना के दायरे से परे जाते हैं और अदालत को बदनाम करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस तरह के बयान या लिखित शब्द अदालत की अवमानना के बराबर होंगे। यह न्यायालय पुनः: अरुंधति राय 1 5 ने अधिनियम की धारा 2 पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 28. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, न्यायाधीश के आचरण, न्यायपालिका की संस्था और उसके कामकाज की निष्पक्ष आलोचना अगर सद्भावना और जनहित में की जाती है तो यह अवमानना नहीं हो सकती है। सद्भावना और जनहित का पता लगाने के लिए अदालतों को व्यक्ति सहित आसपास की सभी परिस्थितियों को देखना होगा

टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार, उस क्षेत्र में उसका ज्ञान जिसके बारे में टिप्पणियां की जाती हैं और इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। सभी नागरिकों को टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

निष्पक्ष आलोचना के नाम पर न्यायालयों का संचालन, यदि नहीं

जाँच की गई, यह संस्था को ही नष्ट कर देगा। "

47. कथित अवमानकर्ताओं ने पी. एन. डूडा (ऊपर) के मामले में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, जो केंद्र सरकार में कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री थे, ने उच्च न्यायालय के कामकाज की आलोचना की थी। सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की प्रमुख आलोचनाओं में से एक यह थी कि इसमें समाज के उच्च स्तर के न्यायाधीश शामिल थे और इसलिए, न्यायालय उद्योगपतियों और अभिजात्य संस्कृति आदि के प्रतिनिधियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखता था। अदालत ने नोटिस का निर्वहन करते हुए कहा कि मंत्री के भाषण को उचित तरीके से पढ़ा जाना चाहिए

दृष्टिकोण। हालांकि, इस अदालत ने कहा कि मंत्री के पास होगा भाषण के कुछ हिस्सों से बचने की बेहतर सलाह दी गई और कहा गया कि

14 (1996) 5 एससीसी 216

15 (2002) 3 एससीसी 343 आरईः

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

भाषण न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप या न्याय के प्रशासन को बदनाम करने के बराबर नहीं था। डॉ. डी. सी. सक्सेना के मामले (ऊपर) में उपरोक्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 34. पी. एन. डूडा बनाम पी. शिव शंकर [(1988) 3 एससीसी 167: 1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 589: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1208] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि न्याय और न्यायाधीशों का प्रशासन सार्वजनिक आलोचना और सार्वजनिक जांच के लिए खुला है। न्यायाधीशों की समाज के प्रति अपनी जवाबदेही होती है और उनकी जवाबदेही को विवेक और विवेक से आंका जाना चाहिए।

उनके पद के लिए शपथ, यानी, बिना किसी डर और पक्षपात के संविधान और कानूनों की रक्षा और समर्थन करने के लिए। इस प्रकार न्यायाधीशों को यह निर्धारित करने के लिए दिए गए प्रकाश में करना चाहिए कि क्या सही है। न्यायिक प्रणाली या न्यायाधीशों के बारे में कोई आलोचना जो प्रशासन को बाधित करती है

न्याय या जो न्यायाधीशों के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण में विश्वास को कम करता है और न्याय के प्रशासन का उपहास करता है, उसे रोका जाना चाहिए। अदालती कार्यवाही की अवमानना उस प्रयास से उत्पन्न होती है। फैसलों की आलोचना की जा सकती है। न्यायाधीशों को उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है। यह न्याय के प्रशासन को बदनाम करता है। न्याय के प्रशासन में विश्वास उन स्तंभों में से एक है जिन पर लोकतांत्रिक संस्थान कार्य करता है और बनाए रखता है। विचारों के मुक्त बाजार में न्यायिक प्रणाली या न्यायाधीशों के बारे में आलोचना का तब तक स्वागत किया जाना चाहिए जब तक कि इस तरह की आलोचना से कोई नुकसान या बाधा नहीं आती है।

न्याय का प्रशासन। इस तरह अदालतों को स्वयं या वादी या वकील के कहने पर अवमानना का नोटिस लेकर कथित अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए अदालतों और न्यायाधीशों में निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। उस मामले में बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक सेमिनार में कानून मंत्री के भाषण और उसमें अपमानजनक भागों को अवमाननापूर्ण और अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं माना गया था। इसलिए लोकतंत्र में न्यायाधीश और अदालतें समान रूप से आलोचना के अधीन होती हैं और यदि किसी भी न्यायिक कार्य के खिलाफ सम्मानजनक भाषा में उचित तर्क या आलोचना की जाती है और उसे कानून या सार्वजनिक भलाई के विपरीत माना जाता है, तो कोई भी अदालत आलोचना को अदालत की अवमानना के रूप में नहीं मानेगी।

48. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि देश का कोई भी नागरिक इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की आलोचना कर सकता है।

तथापि, किसी भी पक्ष को न्यायाधीश के उद्देश्यों का श्रेय देने या न्यायाधीश की ईमानदारी पर सवाल उठाने या न्यायाधीश की क्षमता के संबंध में सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश न्याय [2020] 7 एस. सी. आर. का अभिन्न अंग हैं।

वितरण प्रणाली। मोटे तौर पर न्यायाधीश इसके तहत कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक हैं।

अवमानना कानून जब उन पर व्यक्तिगत हमला किया जाता है। हालाँकि, जब बार के सदस्यों द्वारा एक ठोस हमला किया जाता है, जो एक बड़े अनुयायी वाले संगठन के सदस्य होने का दावा करते हैं, तो न्यायालय किए गए निंदात्मक और निंदनीय आरोपों पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है। यदि ऐसे आरोप जिन्हें न केवल भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, उन्हें बिना किसी चुनौती के रहने दिया जाता है, तो जनता न केवल उन विशेष न्यायाधीशों में बल्कि पूरी न्याय वितरण प्रणाली में भी विश्वास खो देगी और यह निश्चित रूप से कानून की महिमा को प्रभावित करता है।

49. हालांकि कथित अवमानकर्ताओं का दावा है कि वे श्री मैथ्यूज नेदुमपारा के साथ कोई एकजुटता व्यक्त नहीं कर रहे हैं और न ही उनके पास न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत है, शिकायतों का पूरा अध्ययन पूरी तरह से अलग तस्वीर दिखाता है। जब हम दोनों शिकायतों को एक साथ पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कथित अवमानक श्री नेदुमपारा के लिए छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। वे कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो केवल श्री नेदुमपारा द्वारा उठाए जा सकते थे न कि श्री नेदुमपारा द्वारा।

कथित अवमानक।

50. दोनों शिकायतें प्रत्यक्ष रूप से अवमाननापूर्ण हैं। अत्यधिक।

इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाए गए हैं। हमारे विचार में, शिकायतों की पूरी सामग्री अवमानना के बराबर है। चूंकि दोनों शिकायतें 250 पृष्ठों से अधिक की हैं, इसलिए पूरी शिकायतों को उद्धृत करना संभव नहीं है और हम उक्त मामले में लगाए गए कुछ अधिक निंदनीय आरोपों से निपट रहे हैं।

शिकायतें। हमने कुछ आरोपों को एक साथ रखा है।

1 सेंट शिकायत dt.20.03। 2019 श्री विजय कुर्ले द्वारा

51. पहली शिकायत के पृष्ठों 49-51 पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:

" III) चार्ज #: - व्यक्तिगत पूर्वाग्रह प्रक्रिया

सकारात्मक।

एक अन्य अवैधता पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित हितों के टकराव और कानून के उल्लंघन के संबंध में है। (2011) 14 एससीसी 770।

कि पिछले 2 वर्षों से, अधिवक्ता नेदुमपात्रा पोस्ट कर रहे हैं

अधिवक्ता फली एस. नरीमन के खिलाफ लेख। उन्होंने रिट आरई भी दायर किया:

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 का No.2019,

जहाँ उन्होंने अधिवक्ता फली नरीमन के वकालत करने का मुद्दा उठाया।

सुप्रीम कोर्ट जहाँ उनके बेटे रोहिंगटन फली नरीमन एक न्यायाधीश हैं।

इन परिस्थितियों में हितों का सीधा टकराव और

उन मामलों से खुद को अलग कर लिया है जहाँ अधिवक्ता नेदुमपारा प्रकट हो रहा है।

XXX

XXX

XXX

लेकिन उच्चतम न्यायालय की गरिमा और संयम बनाए रखने के बजाय

प्रतिवादी न्यायाधीश रोहिंगटन फली नरीमन ने मामले की सुनवाई की।

और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और महिमा को इसमें शामिल किया

बदनाम "।

कथित अवमानकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि श्री नेदुमपारा

न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन के पिता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एफ. एस. नरीमन के खिलाफ लेख पोस्ट करना। यह आरोप लगाया जाता है कि इसलिए हितों का सीधा टकराव हुआ और न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन को श्री नेदुमपारा से जुड़े मामले की सुनवाई से अयोग्य घोषित कर दिया गया। हम यह देखने में विफल रहते हैं कि हितों का टकराव कैसे होता है। श्री एफ. एस. नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय बार के एक प्रमुख और अपने आप में एक कानूनी विद्वान हैं। न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन उनके पुत्र और इस न्यायालय के न्यायाधीश हैं। हालाँकि इससे न्यायमूर्ति नरीमन और श्री नेदुमपारा के बीच हितों का टकराव पैदा नहीं होगा क्योंकि श्री एफ. एस. नरीमन और न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन दो अलग-अलग संस्थाएं हैं। कथित लेख को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। किसी भी स्थिति में, यह श्री नेदुमपारा ही थे जो पीठ के समक्ष इस बचाव को उठा सकते थे और वास्तव में, उन्होंने यह स्वीकार करते हुए माफी का एक हलफनामा दायर किया है कि उन्होंने अवमानना की है। कथित अवमानकर्ताओं ने अनावश्यक रूप से और बिना किसी कारण के इस न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है।

52. जहाँ तक पहली शिकायत के पृष्ठ 55 पर लगाए गए आरोपों की बात है

चिंतित हैं, हम पाते हैं कि श्री विजय कुर्ले क्या कह सकते थे

वे ऊपर उद्धृत पहले पैराग्राफ में कहना चाहते थे, लेकिन जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है वह पैराग्राफ का दूसरा भाग है जिसमें श्री विजय कुर्ले एक न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं और कहते हैं कि "एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि इस पर कोई दुर्भावना नहीं थी।

अधिवक्ता नेदुमपारा का हिस्सा और अगर इसे खुले न्यायालय में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस में रखा जाता तो न्यायमूर्ति नरीमन [2020] 7 एस. सी. आर. का पर्दाफाश हो जाता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिवक्ताओं और जनता के सामने और इसलिए एक बहुत ही अजीब और

अधिवक्ता की सजा "। इससे पता चलता है कि वह छद्म युद्ध लड़ रहा है। श्री नेदुमपारा के लिए। इससे भी अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि इसके बाद इस्तेमाल की गई भाषा यह है कि अगर श्री नेदुमपारा को नोटिस में रखा जाता तो यह अधिवक्ताओं और जनता के सामने न्यायमूर्ति नरीमन को बेनकाब कर देती। यह आरोप भी एक निंदनीय आरोप है। हम नहीं देख रहे हैं

निर्णयों के गुण। हम न्यायमूर्ति नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसलों के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि श्री नेदुमपारा को दोषी ठहराने के बाद उन्हें सजा के बिंदु पर सुना गया और उसके बाद उन्होंने एक हलफनामा दायर किया जो इस प्रकार हैः

" ए. एफ. एफ. आई. डी. एविट

आई, मैथ्यूज जे. नेदुमपारा, अधिवक्ता, आयु 60 वर्ष, भारतीय हार्बर हाइट्स, "डब्ल्यू" विंग, 12-एफ, 12 वीं मंजिल, ससून डॉक्स, कोलाबा, मुंबई-400005 में रहने वाले निवासी, जो अब दिल्ली में हैं, इस प्रकार शपथ लेते हैं और कहते हैंः

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहिंटन एफ. नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति विनीत सरन की इस माननीय न्यायालय की पीठ ने 12 मार्च, 2019 के निर्णय और आदेश द्वारा मुझे अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया और सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया।

2. मैंने श्री फली एस. नरीमन के नाम का उल्लेख अपने इस प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए किया कि महान श्री फली नरीमन का भी मानना है कि एक वकील की वरिष्ठता को गिना जाना चाहिए। उनके नामांकन की तारीख से और कुछ नहीं। लेकिन, मुझे गलत समझा गया। न्यायिक पारदर्शिता और सुधारों के लिए राष्ट्रीय वकीलों के अभियान के कुछ पदाधिकारियों के साथ मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस घोषणा के लिए रिट याचिका दायर की है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 6 का स्पष्टीकरण अमान्य है क्योंकि यह बताता है कि "न्यायालय" शब्द का अर्थ पूरे न्यायालय से नहीं है, बल्कि उस विशेष न्यायालय से है जिसमें एक वकील का रिश्तेदार न्यायाधीश है। मैंने उक्त याचिका को केवल उस चिंता को उठाने के लिए दायर किया जो कई वकील मेरे साथ उसी न्यायालय में वकालत करने वाले निकटतम रिश्तेदारों के बारे में साझा करते हैं जहां उनका रिश्तेदार एक न्यायाधीश है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पता चलता है कि श्री फली नरीमन का चयन करना मेरी गलती थी।

उक्त याचिका का प्रत्यर्थी। मुझे इसके लिए खेद है; कोई भी शब्द मेरे पश्चाताप और अफसोस को पर्याप्त रूप से समझा नहीं सकता है। मैं पूर्वावलोकन आरई में भीः

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

यह महसूस करते हुए कि मैंने इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले के संचालन के दौरान भी गलती की है और मैं शायद 35 वर्षों के लिए बार में एक वकील के रूप में मुझसे जो उम्मीद की जाती है, उसे पूरा नहीं करता। 60 वर्ष की आयु को पार किया। 12 मार्च, 2019 के फैसले में मेरे खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप बिल्कुल गलत हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से काले और सफेद हैं और दिन और रात के रूप में निर्विवाद हैं, यह कहते हुए मैं खेद व्यक्त करता हूं, अपना पश्चाताप व्यक्त करता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं।

3. ऊपर मेरे द्वारा दी गई माफी स्वीकार की जाए और मुझे अवमानना से मुक्त किया जा सकता है।

दिल्ली में ली शपथ

ए

सडी /

मार्च, 2019 का यह 27 वां दिन

(मैथ्यूज जे. नेदुमपारा) "

53. श्री नेदुमपारा द्वारा दायर हलफनामे के बारीकी से अवलोकन से पता चलता है कि पूर्वावलोकन में श्री नेदुमपारा ने महसूस किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर रिट याचिका में श्री एफ. एस. नरीमन को प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत करना उनकी ओर से एक त्रुटि थी। वह कहता है कि उसे उसी बात का पछतावा है और कोई भी शब्द उसके पश्चाताप और अफसोस को पर्याप्त रूप से समझा नहीं सकता है। वह यह भी कहता है कि उसे एहसास होता है कि इस न्यायालय के समक्ष मामले के संचालन के दौरान उसने गलती की थी। श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान द्वारा दायर दो शिकायतें श्री नेदुमपारा की सुनवाई से पहले ही भेज दी गई थीं।

सजा के मुद्दे पर। शिकायतकर्ताओं ने शिकायतों में जो आरोप लगाया है, वह श्री नेदुमपारा की अदालत में प्रस्तुत माफी से गलत है। श्री नेदुमपारा की इस अयोग्य माफी को अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस पृष्ठभूमि में हमें श्री विजय कुर्ले द्वारा "अधिवक्ताओं और जनता के सामने न्यायमूर्ति नरीमन का पर्दाफाश" शब्दों का उपयोग करने के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। कोई भी वकील कुछ अस्पष्ट और लापरवाह आरोपों के आधार पर अधिवक्ताओं और जनता के सामने एक न्यायाधीश को बेनकाब करने की धमकी नहीं दे सकता है। यह भाषा अत्यधिक अपमानजनक है और

न्यायालय को बदनाम करता है और इसलिए यह अवमानना करने के बराबर है

अदालत से।

54. पहली शिकायत के पृष्ठ 60 पर श्री विजय कुर्ले ने कहा है कि

इस प्रकार हैः

" न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा 5 मार्च को अधिवक्ता नेदुमपारा को दी गई धमकी, जैसा कि "बार एंड बेंच" में प्रकाशित हुआ है, स्वयं न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की ओर से अवमानना का अपराध है।

55. बार एंड बेंच में जो प्रकाशित किया गया है उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। श्री विजय कुर्ले ने बड़ी संख्या में दस्तावेज दाखिल किए हैं लेकिन

उन्होंने यह नहीं बताया कि किस आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि श्री नेदुमपारा को न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा धमकी दी गई थी। न्यायाधीश द्वारा चेतावनी को धमकी नहीं कहा जा सकता है। चूंकि कथित अवमानकर्ताओं ने कोई टिप्पणी नहीं की है

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री कि कैसे न्यायमूर्ति नरीमन ने श्री नेदुमपारा को धमकी दी, यह स्वयं एक न्यायाधीश के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के बराबर है। श्री नेदुमपारा ने अपने हलफनामे में पीठ के किसी भी सदस्य द्वारा उन्हें दी गई किसी भी धमकी का कोई संदर्भ नहीं दिया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि श्री विजय कुर्ले द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं।

56. श्री विजय कुर्ले ने आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति नरीमन ने "अदालत के रिकॉर्ड के बाहर की सामग्री का उपयोग करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अपने स्रोत का खुलासा किए बिना व्यक्तिगत जानकारी द्वारा प्राप्त किया गया और इसलिए, उनकी कार्रवाई इस न्यायालय के पहले के फैसलों के खिलाफ थी और इस न्यायालय की अवमानना के बराबर थी। विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया गया है लेकिन उनमें से अधिकांश मामले के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा, भले ही वह इस आधार पर फैसले की आलोचना करना चाहते थे, श्री विजय

कुर्ले समशीतोष्ण भाषा का उपयोग कर सकते थे लेकिन पहले पत्र के पृष्ठ 69 पर जो कहा गया है वह अत्यधिक तिरस्कारपूर्ण है। उक्त आरोप इस प्रकार हैं:

" न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की दुर्भावनाएँ बहुत बड़ी हैं जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि पैरा 3,4,5,6,7,8 में उनके द्वारा भरोसा की गई सामग्री पूरी तरह से न्यायमूर्ति रोहिंगटन नरीमन का व्यक्तिगत कार्य है और जिसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि आपूर्ति की गई अधिकांश सामग्री बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला से है जो बदले में रोहिंगटन के करीबी और अधिवक्ता के प्रतिद्वंद्वी हैं।

नेदुमपारा "।

57. एक न्यायाधीश सही या गलत हो सकता है और एक पक्ष किसी भी आधार पर फैसले की आलोचना कर सकता है। हालाँकि, ऊपर उद्धृत आरोपों में इस न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ दुर्भावना के विभिन्न गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, यह कहा गया है कि न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा भरोसा की गई सामग्री बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कथावाला द्वारा प्रदान की गई थी, जो न्यायमूर्ति नरीमन के करीबी हैं और श्री नेदुमपारा के प्रतिद्वंद्वी भी हैं। श्री विजय कुर्ले यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखने में विफल रहे हैं कि न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, वह न्यायमूर्ति कथावाला द्वारा प्रदान की गई थी। वास्तव में, सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया था, वे सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय थे और उन मामलों में पारित आदेशों का हिस्सा थे जिनमें श्री नेदुमपारा या भाग आरई में उपस्थित हुए थे:

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

श्री नेदुमपारा द्वारा स्वयं दायर याचिकाओं में से। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि न्यायमूर्ति कथावाला न्यायमूर्ति नरीमन के करीबी हैं। हम यह भी समझने में विफल हैं कि श्री विजय कुर्ले ने किस आधार पर कहा है कि न्यायमूर्ति कथावाला श्री नेदुमपारा के प्रतिद्वंद्वी हैं। बार और बेंच के बीच या एक के बीच प्रतिद्वंद्विता का कोई सवाल ही नहीं है। न्यायाधीश और एक वकील। न्यायमूर्ति नरीमन ने अपने फैसले में विभिन्न मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर भरोसा किया है। ये सभी सार्वजनिक दस्तावेज हैं और हम यह समझने में विफल हैं कि कथित अवमानकर्ताओं ने यह कैसे मान लिया कि ये दस्तावेज न्यायमूर्ति कथावाला द्वारा प्रदान किए गए थे।

58. पहली शिकायत के पृष्ठ 2-3 पर लगाए गए कुछ आरोप हैं -

इस प्रकार हैः

" चार्ज 2 #अनुपात की व्याख्या करने के लिए बुनियादी ज्ञान की कमी

किसी भी मामले के कानून का निर्णय।

XXX

XXX

XXX

चार्ज 3 #आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल कानून को नहीं जानते हैं।

और साक्ष्य के बुनियादी कानून और के पूरे आधार के इनकार में कार्य किया भारतीय संवैधानिक "।

59. इसी तरह, पहले के पृष्ठों 71-72 पर लगाए गए आरोप

शिकायतें इस प्रकार हैंः

" इसलिए न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन पर भरोसा रखते हुए

अवमानना कार्यवाही में सूचना, और इसे एक आधार के रूप में बनाना

एक वकील के आचरण का निष्कर्ष निकालें जो पूरी तरह से जानता है

कि उक्त मामला अभी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है,

अधिवक्ता नेदुमपारा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और

संवैधानिक जनादेश के खिलाफ काम किया और इस तरह उल्लंघन किया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ली गई शपथ और एक के लिए अशोभनीय है

न्यायिक अधिकारी।

इसलिए न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन ने इस पर निर्भरता रखी

कारण दर्शाओ अवमानना नोटिस अवैध है और उसकी कमी को दर्शाता है

ज्ञान।

इसलिए कुछ अनपढ़ न्यायाधीशों की एकतरफा निर्भरता

कानून का आधा-समर्थित ज्ञान होने से इसका ताना-बाना टूट जाएगा।

आपराधिक और नागरिक न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत।

VI) छवि को अलग करने और बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता अपने ग्राहकों के कारण से दूर रहें [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके अधीनता के लिए गंभीर भविष्यवाणियाँ

पूर्व कारण-चेहरा सिद्ध किया गयाः वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति नरीमन नेदुमपारा द्वारा अपने पिता फली नरीमन और अपने करीबी न्यायमूर्ति कथावाला के खिलाफ दायर याचिकाओं से व्यथित हैं और इसलिए उन्होंने संदर्भ लिया था

विभिन्न अप्रासंगिक मामलों और अस्वीकार्य साक्ष्य। न्यायमूर्ति नरीमन का उद्देश्य वास्तव में कानूनी पेशे को शुद्ध और शुद्ध करना, या न्याय की गरिमा और महिमा की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने विरोधियों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ताओं को चुप कराना है, ताकि मुकदमेबाजी को एक अलग मैदान पर जीता जा सके।

जहाँ तक इन आरोपों का संबंध है, पीठ केवल उन विभिन्न मामलों का उल्लेख कर रही थी जहाँ श्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी।

नेदुमपारा ने कहा कि उन्हें "न्यायाधिकरण के सदस्यों को आतंकित करने और बॉम्बे उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के समक्ष अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए असंयमित भाषा का उपयोग करने की आदत है"। श्री नेदुमपारा ने इन कार्यवाही में आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर करते हुए कहा कि उनका इन शिकायतों से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, कथित अवमानकर्ता अब उन मुद्दों को कैसे उठा सकते हैं जिन्हें श्री नेदुमपारा ने कभी नहीं उठाया था। पहली शिकायत के पृष्ठ 71 पर यह आरोप लगाया गया है कि अवमानना कार्यवाही में जारी किए गए नोटिस पर भरोसा करके विद्वान न्यायाधीश ने श्री नेदुमपारा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और इसलिए इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ली गई अपनी शपथ का उल्लंघन किया है।

60. पहले पत्र के पृष्ठ 72 पर लगाए गए आरोप अत्यधिक अपमानजनक और निंदनीय हैं। पीठ ने कारण दिखाने पर भरोसा जताया

श्री नेदुमपारा के संदर्भ में यह दिखाने के लिए नोटिस कि "अधिवक्ता ने एक ऐसे आचरण की शुरुआत की है जिसकी गणना इस देश में न्याय के प्रशासन को पराजित करने के लिए की गई है"। यह किसी भी तरह से ज्ञान की कमी को नहीं दर्शाता है। बाद के भाग में जिस भाषा का उपयोग किया गया है, वह यह दर्शाती है कि न्यायमूर्ति नरीमन एक अनपढ़ न्यायाधीश हैं, जिन्हें कानून का आधा ज्ञान है, यह एक निंदनीय और अपमानजनक आरोप है जो निश्चित रूप से न्यायालय की अवमानना के बराबर है।

61. पेज 72 पर प्रभारी VI, श्री विजय कुर्ले ने आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति नरीमन अधिवक्ताओं को अपने न्यायालय से दूर रखना चाहते थे।

62. कथित अवमानकर्ताओं का यह कहना कि श्री नेदुमपारा के खिलाफ कार्रवाई करते समय न्यायमूर्ति नरीमन का उद्देश्य "वास्तव में नहीं था"

कानूनी पेशे को शुद्ध या शुद्ध करना या न्याय की गरिमा और महिमा की रक्षा करना, लेकिन उनके आरई की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ताओं को चुप कराना:

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

पक्षकार, ताकि मुकदमेबाजी को एक अलग मैदान पर जीता जा सके "ऐसे आरोप लगाए हैं जो निंदनीय हैं और निष्पक्षता को चुनौती देते हैं

एफ इस न्यायालय के न्यायाधीश।

63. फिर से, पहले पत्र के लिए पैरा 79 में, कथित अवमानकर्ता

अवे ने निम्नलिखित रूप में कहाः

" हालांकि न्यायमूर्ति नरीमन माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

कुछ मुवक्किलों के खिलाफ पूर्वाग्रह का ताकि कोई वकील ऐसा न करे

उनके संक्षिप्त विवरण को स्वीकार करें और उन्हें अपनी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

ये आरोप कि न्यायमूर्ति नरीमन एक विवाद पैदा करना चाहते हैं

कुछ ग्राहकों के खिलाफ पूर्वाग्रह का क्षेत्र एक झूठा आरोप है

कथित अवमानकर्ताओं द्वारा अपना जवाब देने के लिए कोई सहायक सामग्री नहीं दी गई है। हमें यह भी समझ में नहीं आता कि 2019 के रिट (सी) नंबर 191 या 019 के सुओ मोटू अवमानना याचिका नंबर 1 में पारित आदेश से यह निष्कर्ष कैसे निकलेगा कि कुछ ग्राहक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे।कोई भी अधिवक्ता उनके संक्षिप्त विवरण को स्वीकार नहीं करेगा। इस पूरी तरह से झूठे आरोप का कोई आधार नहीं है जो अदालत की अवमानना के बराबर भी है।

64. पहली शिकायत के पृष्ठ 81 पर श्री विजय कुर्ले ने कहा है कि

एस निम्नलिखित हैः

" यह तय कानून है कि कानून का आधा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को अदालती कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[वीडियोः एन. नटराजन बनाम। बी. के. सुब्बा राव एयर 2003 एससी 541]

फिर कैसे आधा समर्थित ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर रहने की अनुमति दी जाएगी। देश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय।

इस देश ने न्यायमूर्ति कर्णन की गतिविधियों को देखा था, जहां उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सजा सुनाई थी। वर्तमान मामले में, अधिवक्ता, जो न्यायालय के अधिकारी भी हैं, को न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन (दोनों बनाने में न्यायमूर्ति कर्णन हैं) अपनी इच्छाओं और इच्छाओं पर मनमाने तरीके से दंडित कर रहे हैं, न कि अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को संतुष्ट करने और वकीलों से मिलने के इच्छुक लोगों की संख्या को निपटाने के लिए। नेदुमपारा पारदर्शिता के अपने मिशन से बाहर हैं। अगर समय पर इसकी जाँच नहीं की जाती है तो यह बुराई फैल जाती है

सहिष्णुता से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। "

इसके बावजूद ये आरोप अत्यधिक अवमाननापूर्ण हैं। श्री.

कुर्ले कह रहे हैं कि दोनों न्यायाधीश जिनमें पीठ शामिल थी

कानून का आधा ज्ञान और उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। भाषा.

अत्यधिक असंयमित है और न्यायालय को बदनाम करता है और इसलिए, तिरस्कार करने के लिए।

65. पृष्ठ 86-87 पर अगले आरोप इस प्रकार हैं: " इसलिए न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की टिप्पणी है -

यह उनकी खराब समझ और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दर्शाता है। कानून का ज्ञान।

भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के अनुसार न्यायमूर्ति रोहिंगटन फाली

नरीमन सद्भावना के किसी भी संरक्षण के हकदार नहीं हैं।

धारा 52 निम्नानुसार है;

" सद्भावना। - कुछ नहीं कहा जाता है

"सद्भावना" में किया या विश्वास किया जाता है जो उचित देखभाल और ध्यान के बिना किया जाता है या विश्वास किया जाता है।

33. इसके अलावा 12 मार्च के निर्णय के पैरा 8 में,

2019 न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन ने मामले से व्यथित महसूस किया

बंबई उच्च न्यायालय के अपने करीबी न्यायाधीश (न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला) ने देखा था कि डब्ल्यू. पी. की प्रार्थनाएँ। (एल) का No.1180

2018 अपमानजनक हैं। यह फिर से दो पर कानून का उपहास है।

गिनती:

(i) उक्त याचिका का निर्णय उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने किया था।

दिनांकित 26.07.2018 आदेश के अनुसार और उस समय उच्च न्यायालय ने नहीं किया था इसे अवमाननापूर्ण समझें तो कैसे न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन

8 महीने की अवधि के बाद इसे अपमानजनक नहीं कहा जा सकता है। ((ii) दूसरा, प्रार्थनाएँ अपराधी की दीक्षा के बारे में थीं।

न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला के खिलाफ कार्यवाही जिन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय और इस तरह की प्रार्थना करना है

पीड़ित के मौलिक अधिकार को अवमानना नहीं कहा जा सकता है।

66. इसके अलावा पहली शिकायत के पृष्ठ 124 पर यह आरोप लगाया गया है कि

वीएसः

आरईः विजय कर्ले और हमारा।

[दीपाक गुप्ता, जे।]

" इसलिए यह स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन एक व्यक्ति हैं।

जो न तो कानून को जानता है और न ही इसके अनुप्रयोग को जानता है अर्थात न ही

शास्त्रों पर आदेश दें और न ही इसे व्यवहार में लाएं।

कथित अवमानकर्ताओं ने फैसले की शुद्धता की आलोचना की होगी, लेकिन यह आरोप कि न्यायमूर्ति नरीमन की टिप्पणियाँ

न्यायालय की अवमानना या उसकी खराब समझ और कानून की बुनियादी समझ की कमी को दर्शाने के लिए ऐसी भाषा नहीं है जिसका उपयोग एक वकील से सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ करने की अपेक्षा की जाती है। एक बार फिर इसी उद्धृत भाग में पूरी तरह से निराधार आरोप लगाया गया है।

कि न्यायमूर्ति नरीमन बॉम्बे उच्च न्यायालय के अपने करीबी न्यायाधीश (न्यायमूर्ति एस. जे.) के खिलाफ लगाए गए आरोपों से व्यथित थे।

कथावाला)। श्री विजय कुर्ले द्वारा निकाला गया निष्कर्ष केवल इतना ही नहीं है

गलत लेकिन पूरी तरह से गलत और ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायमूर्ति नरीमन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उनकी निष्पक्षता या क्षमता के संबंध में सवाल उठाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था। वास्तव में, रिट याचिका सं। 2018 का (एल)-1180 श्री नेदुमपारा द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि न्यायमूर्ति कथावाला के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। इस रिट याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। बंबई उच्च न्यायालय ने यह तय नहीं किया कि श्री नेदुमपारा ने न्यायालय की अवमानना की थी या नहीं। लेकिन श्री नेदुमपारा द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया। इसका मतलब है कि बंबई उच्च न्यायालय ने श्री नेदुमपारा की याचिका में कोई दम नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि यह निर्णय इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। बंबई उच्च न्यायालय अवमानना की कार्यवाही पर विचार नहीं कर रहा था। पीठ ने अपनी इस टिप्पणी का समर्थन करने के लिए केवल फैसले पर भरोसा किया है कि श्री नेदुमपारा को न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की आदत थी।

67. हम यह भी समझने में विफल हैं कि कैसे श्री विजय कुर्ले जो एक वकील हैं, यह दावा करते हैं कि न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उनका मौलिक अधिकार है। बार के कुछ सदस्य न्यायाधीशों को आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की धमकी देकर न्यायपालिका को फिरौती के लिए नहीं रोक सकते हैं। यदि यह प्रवृत्ति है

अगर किसी भी पक्ष से सख्ती से निपटा नहीं जाता है तो कोई भी पक्ष जिसके खिलाफ मामला तय किया जाता है, वह न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना शुरू कर देगा। 68. बेंच और बार के बीच संबंध एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। वकील जो

न्यायाधीशों को धमकाने या धमकाने की कोशिश से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और वहाँ [2020] 7 एस. सी. आर.

ऐसे वकीलों के लिए कोई दुर्भावनापूर्ण सहानुभूति नहीं हो सकती है। ऐसे वकील कानूनी बिरादरी की मदद करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बहुत कम बार की।

69. श्री विजय कुर्ले ने पहली शिकायत के पृष्ठ 103 पर पैरा 35 में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

" 35. उपरोक्त तय किए गए कानून को देखते हुए यह स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन को कानून का बुनियादी ज्ञान नहीं है या उनकी प्रवृत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने की है।

अदालत ने उसके साथ कानून से ऊपर व्यवहार किया।

एक बार फिर, ये आरोप न केवल पूरी तरह से निराधार हैं, बल्कि ये आरोप स्वयं इस न्यायालय की गरिमा को कम करते हैं।

70. श्री विजय कुर्ले ने अपने पत्र के पृष्ठ 112 पर अनुच्छेद 36 में कहा है कि

इस प्रकार है:

" 36. सबसे बुरी बात यह है कि न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन ने अपने आदेश के पैरा 8 में न्यायमूर्ति कथावाला को प्रमाण पत्र देने की कोशिश की कि उन पर कानूनी व्यवस्था के लिए हमला किया जा रहा है। वास्तव में याचिका एक वकील के खिलाफ टिप्पणियों के लिए वकील द्वारा दायर की गई थी

उन्हें कोई भी नोटिस जारी करना जो प्रथम दृष्टया अवैध है और विभिन्न सर्वोच्च निर्णयों द्वारा और विशेष रूप से सरवन सिंह लांबा के मामले (सुप्रा) में तय किए गए कानूनी सिद्धांत के खिलाफ है। उक्त मामला विचाराधीन होने के कारण न्यायमूर्ति रोहिंगटन द्वारा टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए

फली नरीमन।

इसलिए आपराधिक मानसिकता वाले न्यायाधीशों ने भौतिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, कानूनी स्थिति को गुमराह करके और स्थापित कानून की गलत व्याख्या करके

माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय को अपनी निजी संपत्ति बनाने की कोशिश कर रहा है। पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। और इस तरह के न्यायाधीश कम सेवा वाले लोगों को अनुकूल आदेश देने के लिए धन उगाही करने के लिए सिंडिकेट चला रहे हैं।

हम यह देखने के लिए विवश हैं कि श्री विजय कुर्ले ने न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन के आदेश को पूरी तरह से गलत पढ़ा और गलत तरीके से उद्धृत किया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करने के बाद 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 191 में उक्त आदेश के पैरा 8 में यह दर्ज किया गया है कि श्री नेदुमपारा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के खिलाफ अपने नाम से 2018 की रिट याचिका संख्या एल-1180 दायर की थी, जिन्होंने आदेश पारित किया था और विद्वान एकल न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था

उक्त रिट याचिका में एकमात्र प्रतिवादी के रूप में। अदालत ने दर्ज किया कि याचिका को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। इसलिए, आरोप आरईः

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

यह कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। अदालत ने नोट किया है कि मामले पर अंततः निर्णय ले लिया गया है और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है कि इस फैसले को चुनौती दी गई है। 71. इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि अगला अनुच्छेद जिसमें यह कहा गया है कि आपराधिक मानसिकता वाले न्यायाधीशों ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर और गुमराह करके

कानूनी स्थिति और इस न्यायालय के कानूनों की गलत व्याख्या न्यायालय को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की कोशिश कर रही है। जिस संदर्भ में ये आरोप लगाए गए हैं, यह स्पष्ट है कि हालांकि इनका नाम नहीं लिया गया है, ये आरोप उन न्यायाधीशों के खिलाफ हैं जो उस पीठ का गठन करते हैं जिसने फैसला सुनाया था।

2019 की लिखित याचिका (सी) 191। यह मानने के लिए किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के आरोप निंदनीय हैं और न्यायालय की अवमानना के समान हैं। श्री विजय कुर्ले ने इस न्यायालय के 2 वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि वे आपराधिक मानसिकता वाले न्यायाधीश हैं, कि उन्होंने भौतिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और इस न्यायालय के तय किए गए कानूनों की गलत व्याख्या की है। हम यह समझने में विफल रहते हैं कि 'भ्रामक कानूनी स्थिति' का क्या अर्थ है। ये आरोप कि ये न्यायाधीश न्यायालय को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सिंडिकेट चला रहे हैं और अयोग्य लोगों को धन उगाही के लिए अनुकूल आदेश पारित कर रहे हैं, निंदनीय और निंदनीय हैं और यह मानने के लिए किसी बड़ी चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि वे न्यायालय की अवमानना के समान हैं।

72. पैरा 37 में, पहली शिकायत के पृष्ठ 113 पर, श्री विजय कुर्ले ने आरोप लगाया कि श्री नेदुमपारा एक विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते थे।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे की भी मांग की। उस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जहाँ तक हम जानते हैं कि फैसले को चुनौती नहीं दी गई है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने श्री नेदुमपारा के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि न्यायाधीश पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या श्री नेदुमपारा किसी भी मुआवजे के हकदार थे। यह आश्चर्य की बात है कि इसके बाद कथित अवमानकर्ताओं ने पहले पत्र के पृष्ठ 114 पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

" इसलिए न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की टिप्पणी प्रथम दृष्टया उनके हताश दिमाग का परिणाम प्रतीत होती है या
यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कथावाला की मदद के लिए किया गया था, जिनके आदेशों को उच्च पीठों द्वारा सख्त और कठोर अवलोकन के साथ सत्ता के दुरुपयोग के लिए दरकिनार कर दिया गया है। [ट्राइडेंट स्टील एंड इंजीनियरिंग कं. बनाम वल्लोरेक 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 4060]। उक्त न्यायमूर्ति कथावाला जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए हैं और उनके भ्रष्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथाओं की जांच की जा रही है (पांच-न्यायाधीशों की पीठ)

दोनों संभावनाएँ कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए अयोग्य है और इसके तहत शक्तियों का उपयोग करके तुरंत हटाए जाने के लिए उत्तरदायी है। " 'सदन में प्रक्रिया' जैसा कि न्यायमूर्ति कर्णन के मामले में किया गया था।

एक बार फिर, लगाए गए आरोप पूरी तरह से निंदनीय हैं। यह आरोप लगाना कि ए ने अपने हताश दिमाग के परिणामस्वरूप एक आदेश पारित किया है, हमारे लिए एक अत्यधिक निंदनीय आरोप है। दूसरा आरोप कि यह आदेश न्यायमूर्ति कथावाला की मदद करने के लिए दिया गया था, भी उतना ही निंदनीय है।

ई आरोप भी अवमानना के बराबर हैं।

73. पहले पत्र के पृष्ठ 93 पर निम्नलिखित आरोप हैं -

बनाया गयाः

" इसलिए श्री नेदुमपारा की रिट याचिका का फैसला करने वाली माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसे अवमानना नहीं पाया। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इसे अवमानना के रूप में नहीं पाया, लेकिन 8 महीने बाद न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने इसे अवमानना करार दिया और कहा कि यह न केवल बड़ी पीठ के विचारों का पालन करने के लिए न्यायिक अनियमितता है, बल्कि भाई न्यायाधीशों द्वारा भी इसका पालन करना गलत उद्देश्य साबित करता है

न्यायमूर्ति नरीमन। न्यायाधीश के अभियोजन के लिए याचिका तुच्छ नहीं होने पर कभी भी अवमानना नहीं हो सकती है। बल्कि यह अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह

भ्रष्ट न्यायाधीशों की शिकायत "। 74. इसके अलावा पहले पत्र के पृष्ठ 134 पर कथित अवमानकर्ता

उन्होंने निम्नलिखित आरोप लगाएः

कार्यवाही में दिए गए अभिलेख और स्पष्टीकरण से साबित किया गया प्रसाद।

XOXO) इन परिस्थितियों में चूंकि न्यायमूर्ति नरीमन हैं

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वह किसी भी तरह की नरमी के लायक नहीं हैं।

75. पहले पत्र के पृष्ठ 135 पर, श्री विजय कुर्ले ने विरोधी पक्ष के आरोप लगाए हैंः

" वर्तमान मामले में जब न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन ने 5 मार्च, 2019 को मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आरईः

विजय कर्ले और हमारा।

[दीपाक गुप्ता, जे।]

धारा 14 की प्रक्रिया का पालन करने के लिए ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं थी

& न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15, जैसा कि पूर्ण द्वारा शासित है

डॉ. एल. पी. मिश्रा बनाम राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ

उत्तर प्रदेश का (1998) 7 एस. सी. सी. 379 (सुप्रा)।

लेकिन न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी।

बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रक्रिया कि क्या तात्कालिकता है

कानून के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन न करना। यह स्वयं यह अनुमान लगाने के लिए एक आधार है कि वह एक तिरछे द्वारा सक्रिय किया गया है

उद्देश्य या भ्रष्ट अभ्यास। [वीडियोः - आर आर पारेख बनाम। उच्च न्यायालय

गुजरात (2016) 14 एस. सी. सी. 11 "

आरोप है कि "यह अपने आप में यह अनुमान लगाने का आधार है कि उनके पास है

एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य या भ्रष्ट व्यवहार से प्रेरित होना "एक पूरी तरह से निराधार और निराधार आरोप है जो इस न्यायालय को बदनाम करता है और इस न्यायालय की महिमा को कम करता है। जब कोई व्यक्ति चाहे वह कार्यवाही में पक्षकार हो या न हो, किसी अदालत के फैसले की आलोचना करता है तो वह तब तक ऐसा कर सकता है जब तक कि वह पक्ष दुर्भावनापूर्ण, गुप्त उद्देश्यों, बाहरी कारणों आदि के आरोप नहीं लगाता है। ऊपर उद्धृत भागों में श्री विजय कुर्ले ने इस न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्पक्षता को चुनौती देने वाले आरोप लगाए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि आदेश दुर्भावनापूर्ण इरादे और गलत उद्देश्य से पारित किए गए थे। ये आरोप अदालत को बदनाम करने के समान हैं और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि श्री विजय कुर्ले इस अदालत की अवमानना करने के दोषी हैं।

76. पहली शिकायत के पृष्ठों 150-154 पर श्री विजय कुर्ले ने लिखा है

निम्नलिखित रूप में वर्णित हैः

“ XIII) #चार्ज #आदेश पारित करना

पीड़ित न्यायाधीश को बचाने के लिए अंतिम प्रस्ताव

S.J.KATHWALA भारतीय बार किसके खिलाफ है

समाज की शांति बनी हुई है

भारत की धारा 218 के तहत प्रावधान दंडात्मक कोड।

XXX

XXX

XXX

यह स्थिति होने के कारण न्याय के लिए कोई अवसर या कारण नहीं था रोहिंगटन फली नरीमन इस तरह के अप्रासंगिक, गैरकानूनी और

अवलोकन के लिए अनावश्यक। यह स्पष्ट है कि उक्त अवलोकन किए जाते हैं अपने मित्र न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला और [2020] 7 एस. सी. आर. को बचाने के गुप्त उद्देश्य के साथ।

इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

XIV) हस्तक्षेप करने के लिए शुल्क #असमर्थता

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयः

फैसले के पैरा 9 में न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन

सुखदेव सिंह सोढ़ी बनाम के मामले में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया। मुख्य न्यायाधीश एस. तेजा सिंह, 1954 एस. सी. आर. 454 ने व्याख्या की कि उक्त निर्णय के अनुसार जिस न्यायाधीश पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया है, उसे मामले की सुनवाई स्वयं करनी होगी। वास्तव में उक्त निर्णय में निर्धारित कानून बिल्कुल विपरीत है।

यह आरोप कि न्यायमूर्ति नरीमन ने ऊपर बताए गए कारणों से अपने मित्र न्यायमूर्ति कथावाला को बचाने के लिए गलत इरादे से काम किया

पूरी तरह से निंदनीय और अवमाननापूर्ण आरोप। अगला आरोप यह है कि न्यायमूर्ति नरीमन ने सुखदेव सिंह सोढ़ी के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले का उल्लंघन किया। इस पर टिप्पणी किए बिना आरोपों की शुद्धता या अन्यथा, इस शीर्षक के तहत निम्नलिखित टिप्पणियां पूरी तरह से अवमाननापूर्ण हैं:

" यह पूर्व-दृष्टया न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की समझ का बहुत खराब स्तर साबित हुआ।

लेकिन इस प्रावधान और फैसले को न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने आसानी से, जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया या हो सकता है कि वह इस बुनियादी कानून को न जानते हों जो उनकी अक्षमता और दुर्बलता को साबित करने के लिए पर्याप्त है। समझ का स्तर जो उन्हें न्यायपालिका से तुरंत हटाने के लिए पर्याप्त है।

श्री विजय कुर्ले द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा जो न्यायमूर्ति नरीमन करते हैं

बुनियादी कानून को भी नहीं जानते हैं और इसलिए, न्यायपालिका से तुरंत हटाए जाने के लिए अपनी समझ के खराब स्तर के कारण अक्षम हैं, यह अत्यधिक असंयमित भाषा है जो न्यायालय की घोर अवमानना के बराबर है।

77. पहली शिकायत के पृष्ठ 133 पर इस प्रकार आरोप लगाया गया है:

" कपोल को-ऑप में। बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 Cri.L.J.765 यह निर्णय दिया गया है कि "न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग" शब्द का अर्थ है तुच्छ, कष्टप्रद और दमनकारी लाने का कार्य।

कार्यवाही।

आरईः विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन का भी यही कार्य है।

अधिवक्ता नेदुमपारा के खिलाफ अवमानना का मामला लाना।

78. फिर से, निम्नलिखित पहली शिकायत के पृष्ठों 167-168 पर है

देखा गयाः

" इसलिए यह स्पष्ट है कि कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन

यह प्रभाव डालना कि न्यायालय उनकी व्यक्तिगत और निजी संपत्ति है।

XXX

XXX

XXX

चार्ज #ओथ टेक का ब्रेक एक सम्मान के रूप में

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भाग लेते हुए कार्रवाई की आई. एल. एल. के साथ-विल और अपहोल्डिंग नहीं

संविधान और कानून। "

ऊपर बताए गए उन कारणों के लिए जिन पर 2 न्यायाधीश विचार करते हैं

अदालत उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में एक निंदनीय आरोप और राशि हैकोशिश करें।

79. श्री विजय कुर्ले द्वारा पैरा 49 में पृष्ठों पर दर्ज कराई गई शिकायत में

173 , श्री राशिद खान उन द्वारा दायर शिकायत का एक संदर्भ है और यह कहा गया है कि दूसरी शिकायत मानवाधिकारों द्वारा दायर की गई है

स्व-व्याख्यात्मक है। आरोप इस प्रकार हैंः

" कि मानव अधिकार (एन. जी. ओ.) द्वारा एक और शिकायत

न्यायालय और कानून के शासन को बदनाम करना और प्रतिबद्ध होना अयोग्य लोगों को अनुचित राहत देने के लिए सत्ता पर धोखाधड़ी

अभियुक्त और योग्य पीड़ित महिला को राहत देने से इनकार करना।

XXX

XXX

XXX

जिसमें न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन और विनीत सरन को आरोपी बनाया गया था।

2019 की आपराधिक अपील No.387 [आरिश असगर कुरैशी बनाम.

फरीद अहमद कुरैशी 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 303]

अभियुक्त की मदद करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से देखा गया था कि पुलिस रिपोर्ट

अभियुक्त के खिलाफ जाँच का निर्देश देने के लिए कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन पर पति।

XXX

XXX

XXX

[2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेकिन आरोपी न्यायाधीशों ने आरोपी की मदद करने के लिए जल्दबाजी की अनुपालन और पारित आदेश का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ अपील

माननीय द्वारा निर्धारित कानून की घोर अवहेलना और अवज्ञा में

उच्चतम न्यायालय और धारा के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ भी 341 दंड प्रक्रिया संहिता और असंवैधानिक रूप से कार्य किया "।

ये आरोप न केवल निंदनीय और अपमानजनक हैं और

इस न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि श्री विजय कुर्ले को श्री राशिद खान पठान द्वारा दायर शिकायत के बारे में पता था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि श्री राशिद खान पठान ने न केवल भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत भेजी थी, बल्कि श्री विजय कुर्ले सहित अन्य लोगों को भी इस बारे में सूचित किया था और इसलिए, यह शिकायत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी।

2 और शिकायत dt.19.03। 2019 श्री राशिद खान पठान द्वारा

80. अब हम श्री राशिद खान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर विचार करते हैं।

पठान, जिन्हें मानवाधिकार सुरक्षा परिषद (एन. जी. ओ.) का राष्ट्रीय सचिव कहा जाता है। शिकायत का आधार 2019 की आपराधिक अपील No.387 में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन) द्वारा पारित एक आदेश है। इस शिकायत के पैराग्राफ 4 और 6 में, शिकायतकर्ता ने निम्नलिखित आरोप लगाए:

पीजीएस। 4-5

" 4. वर्तमान शिकायत शक्ति के दुरुपयोग के बारे में है

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित अभियोजन को रद्द करना

अभियुक्त के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत "।

XXX

X

XX

XXX

6. उच्च न्यायालय के तर्कपूर्ण और वैध आदेश को दरकिनार कर दिया गया था

अभियुक्त न्यायाधीश बाहरी विचार और अवमानना के लिए

माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय।

81. 2019 की आपराधिक अपील संख्या 387 एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी जो

उस आदेश से व्यथित था जिसके तहत उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था उसके खिलाफ Cr.PC की धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाए।

डीटी। 26.02.2019 आरिश असगर कुरैशी बनाम। फरीद अहमद कुरैशी

और एन. आर. 1 6 16 इस न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया। उस मामले में इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कथित अवमानकर्ता श्री नीलेश ओझा ने किया था।

16 2019 (4) स्केल 606 आरईः

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

82. यह मानते हुए भी कि श्री राशिद खान पठान फैसले की आलोचना कर सकते थे, उन्हें वहीं रुकना चाहिए था। लेकिन इस मामले में श्री राशिद खान पठान फैसले की आलोचना करने से नहीं रुके। उसके पास है "न्यायाधीशों ने जानबूझकर तय की गई कानूनी स्थिति की अनदेखी की" जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके न्यायाधीशों को स्पष्ट रूप से उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया या

" जानबूझकर और आसानी से नजरअंदाज किया गया "कुछ के लिए संदर्भ

टिप्पणियाँ, और न्यायालय के समक्ष उद्धृत कुछ निर्णयों की "जानबूझकर गलत व्याख्या" की। इसके अलावा, यह आरोप लगाया जाता है कि यह तथ्य कि पीठ ने न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले की अवहेलना करते हुए काम किया, अभियुक्त न्यायाधीशों की दुर्भावना को साबित करने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले, यह श्री राशिद खान पठान को तय करना नहीं है कि फैसला सही है या नहीं। एक कानूनी प्रक्रिया स्थापित की गई है जिसके द्वारा एक समीक्षा याचिका या एक उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। हम निर्णय के गुण-दोष में नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह मानते हुए भी कि निर्णय संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप नहीं है, तब भी यह पीठ वाले न्यायाधीशों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि न्यायाधीशों ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है।

83. श्री राशिद खान पठान द्वारा शिकायत दर्ज कराने का एक कारण यह है कि उन्होंने इस न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री फली एस. नरीमन के खिलाफ श्री फली एस. नरीमन द्वारा की जा रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उस मामले में श्री राशिद खान पठान का प्रतिनिधित्व श्री नीलेश ओझा ने किया था। 3 . इस आधार पर यह माना जाता है कि न्यायमूर्ति नरीमन को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। विचाराधीन शिकायत 19.02.2019 पर दर्ज की गई है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है कि क्या इस शिकायत पर कोई नोटिस, यदि कोई हो, जारी किया गया था। विचाराधीन निर्णय 26.02.2019 पर दिया गया था और श्री नीलेश द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था

ओझा ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश को मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इस शिकायत का तथ्य लाया गया था

माननीय पीठ के नोटिस तक। भले ही इसे ध्यान में लाया गया हो, हम पाते हैं कि यह अलग होने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होना चाहिए। यदि न्यायाधीश इस तरह के किसी भी तुच्छ आधार पर अलग होना शुरू कर देते हैं, तो इससे [2020] 7 एस. सी. आर. हो जाएगा।

शिकार करना। यदि कोई वादी किसी न्यायाधीश से बचना चाहता है, तो वह आसानी से यह सुनिश्चित कर सकता है कि किसी न्यायाधीश या उसके परिवार के सदस्य के खिलाफ तुच्छ या अन्यथा शिकायत दर्ज की जाए और फिर न्यायाधीश से अलग होने के लिए कहा जाए। हम यह नहीं कर सकते कि न्यायपालिका को ऐसे वादियों के हाथों फिरौती दी जाए या

ers.

84. श्री राशिद खान की शिकायत के अन्य हिस्से भी हैं।

इसमें हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगेः

Pg.16

" 11) XXX

इसलिए न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरीन की टिप्पणियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि अवमानना भी हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून और

यह उनके बुनियादी ज्ञान की कमी को दर्शाता है।

पेज। 20

" लेकिन अंतिम आदेश पारित करते समय, कहा गया संदर्भ टिप्पणियों को जानबूझकर और आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया था

अभियुक्त न्यायाधीश विशेष रूप से न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली द्वारा

नरीमन "। पेज। 33

" इस फैसले पर भरोसा किया गया था और प्रतिवादी न्यायाधीशों द्वारा 26 फरवरी, 2019 के अपने फैसले में संदर्भित किया गया था, लेकिन जानबूझकर वैध आदेश को दरकिनार करने की दृष्टि से इसकी गलत व्याख्या की जिससे अभियुक्त को अनुचित लाभ मिल सके।

पेज। 34

" लेकिन प्रत्यर्थी न्यायाधीशों ने जानबूझकर तय किए गए कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया

उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा स्थिति।

पेज। 39

" इन दोनों निर्णयों पर पत्नी के वकील द्वारा भरोसा किया गया था और इनमें हैं

सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया संकलन। इन निर्णयों को एल. डी. द्वारा भी संदर्भित किया जाता है। सत्र न्यायाधीश ने 12 दिसंबर, 2018 को अपने आदेश में कहा। उक्त आदेश पृष्ठ No.172-194 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के साथ संलग्न है और उपरोक्त दो निर्णय पैरा 21 (एस. एल. पी. का पृष्ठ संख्या 185) में निर्दिष्ट किए गए हैं।

पैरा 22 (एस. एल. पी. का पृष्ठ सं. 186)

आरईः विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

लेकिन प्रत्यर्थी न्यायाधीशों ने जानबूझकर उक्त कानूनी को नजरअंदाज कर दिया

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई स्थिति और इसलिए 26 फरवरी, 2019 का उक्त आदेश न केवल आकस्मिक है, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है।

पेज। 43

" लेकिन प्रत्यर्थी न्यायाधीशों ने जानबूझकर अभियुक्त की मदद करने के लिए अपने क्रम में इन पैराओं को पुनः प्रस्तुत करने की अनदेखी की।

इसके अलावा कैसे उक्त मामला कानून या तो लागू होता है या नहीं

निर्णय में लागू होने की चर्चा सरसरी तरीके से संदर्भित करने के अलावा नहीं की गई है। ”

पेज। 52

" लेकिन न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने संविधान पीठ के फैसले की पूरी तरह से अवहेलना और असहमति में काम किया, भले ही इसे लाया गया हो।

उसके नोटिस के लिए। यह अभियुक्त न्यायाधीशों अर्थात न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की दुर्भावना को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

पेज। 62

" लेकिन यहाँ प्रत्यर्थी न्यायाधीश कानून के विपरीत और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करके न्यायाधीश के रूप में ली गई शपथ का उल्लंघन करते हैं और इसलिए उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठने का अपना अधिकार खो दिया।

पेज। 71

" 38) . एक न्यायाधीश की समझ का गरीब स्तरः

XXX "

XXX

XXX

पेज। 77

" 45) . इन परिस्थितियों में न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन को अपने पिता और अधिवक्ता के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी की जानकारी थी।

नीलेश ओझा ने खुद को अलग करने के बजाय मामले की सुनवाई की

अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। नीलेश ओझा और उनके पहले के पूर्वाग्रहों के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न कानूनों की जानबूझकर अवहेलना और अवज्ञा करके अवैध आदेश पारित किया।

85. ऊपर उद्धृत भागों में लगाए गए आरोपों में आरोप लगाया गया है कि पीठ ने जानबूझकर कानून की अवज्ञा करते हुए आदेश पारित किए और

उन्होंने अदालत की अवमानना की, कि न्यायाधीशों ने जानबूझकर और आसानी से फैसले के कुछ हिस्सों की अनदेखी की, कि उन्होंने जानबूझकर आदेशों की गलत व्याख्या की, कि उन्होंने जानबूझकर स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी की, कि न्यायाधीशों ने आरोपी की मदद करने के लिए गलत इरादे से काम किया, और यह सब उन दो न्यायाधीशों की दुर्भावना को साबित करने के लिए पर्याप्त है जिन्हें श्री राशिद खान पठान ने आरोपी के रूप में वर्णित किया है। ये आरोप न केवल झूठे हैं, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं कि न्यायमूर्ति नरीमन को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था।

जिसे उन्हें अभी भी श्री नेदुमपारा को सजा के सवाल पर सुनना था।

इसके अलावा एक आरोप है कि न्यायमूर्ति नरीमन को अपने पिता और श्री नीलेश ओझा के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी की जानकारी थी। उपयोग की गई भाषा न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि न्यायाधीशों की निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, क्षमता पर सवाल उठाते हुए और यह कहते हुए कि न्यायाधीशों ने जानबूझकर एक विशेष तरीके से काम किया और उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हुए श्री राशिद खान पठान ने अदालत की अवमानना भी की है।

86. हम पहले ही पत्रों के बड़े हिस्से निकाल चुके हैं। उनके चेहरे पर दोनों अक्षर पूरी तरह से अपमानजनक प्रकृति के हैं। कोई वादी नहीं

एक न्यायाधीश को उद्देश्यों का श्रेय देने का अधिकार है। किसी भी वादी को न्यायाधीश की ईमानदारी पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। किसी भी वादी को न्यायाधीश की क्षमता पर सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं है। जब न्यायाधीशों की क्षमता, सत्यनिष्ठा और गरिमा पर सवाल उठाया जाता है, तो यह संस्था पर हमला होता है। यह एक हमला है

श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान इस बात से इनकार नहीं करते कि उन्होंने ये पत्र भेजे हैं। वे, वास्तव में, इन पत्रों को भेजने को उचित ठहराते हैं। उनके द्वारा दायर किए गए किसी भी हलफनामे में खेद का एक शब्द भी नहीं है। 87. अब हम उस संदर्भ की जांच करते हैं जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं। श्री विजय कुर्ले द्वारा दिनांकित पहली शिकायत 20.03.2019 है

मूल रूप से दिनांकित 12.03.2019 आदेश के संबंध में। श्री नेदुमपारा को दिनांक 12.03.2019 के आदेश के माध्यम से अवमानना का दोषी ठहराया गया था। नोटिस जारी किया गया है।

उसे सजा के मुद्दे पर सुनवाई के लिए। इस सूचना को दो सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बना दिया गया था और रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस सूचना को वास्तव में 27.03.2019 पर वापस करने योग्य बनाया गया था। इस बीच, श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान दोनों ने ये शिकायतें भेजकर प्रार्थना की कि पीठ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह, हमारी राय में, अवमानना का सबसे बड़ा रूप है क्योंकि इरादा आरई को डराना था:

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

न्यायाधीशों को श्री नेदुमपारा के खिलाफ कार्रवाई करने से बचना चाहिए। श्री नेदुमपारा ने इस अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा कि कि वह श्री विजय कुर्ले और श्री नीलेश ओझा को मुश्किल से जानते थे। उनके अनुसार, वह श्री राशिद खान पठान को बिल्कुल नहीं जानते थे। बयान के आधार पर हमने श्री नेदुमपारा को आरोपमुक्त कर दिया है। वास्तव में, उन्होंने कहा कि उन्हें इन शिकायतों के बारे में नोटिस जारी होने के बाद ही पता चला और उनकी सहयोगी श्रीमती अमीन ने श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान द्वारा दायर शिकायतों को सोशल मीडिया से हटा लिया।

88. श्री विजय कुर्ले द्वारा दायर शिकायत में कई दस्तावेजों और आरोपों के संदर्भ हैं कि अदालत में उठाए गए कुछ मुद्दों की अनदेखी की गई थी। श्री नेदुमपारा को दोषी ठहराने का दिनांकित 12.03.2019 आदेश, जो श्री विजय कुर्ले की शिकायत का आधार है, श्री नेदुमपारा को नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया था। श्री विजय कुर्ले ने कानून की अज्ञानता और विभिन्न संविधान पीठ के फैसलों का पालन करने में विफलता का आरोप लगाया, यह पता लगाने की परवाह किए बिना कि क्या इन फैसलों को वास्तव में पीठ के समक्ष उद्धृत किया गया था या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि श्री विजय कुर्ले की यह शिकायत न्यायाधीशों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से दायर की गई थी ताकि श्री नेदुमपारा के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

89. श्री राशिद खान पठान की शिकायत पर आते हैं। यही बात उस मामले से संबंधित है जिसमें श्री नीलेश ओझा प्रतिवादी के वकील थे। कोई भी पक्ष जो न्यायालय में कोई मामला हार जाता है, वह असंतुष्ट हो सकता है और महसूस कर सकता है कि उसके साथ न्याय नहीं किया गया था। आरिश असगर कुरैशी (ऊपर) में फैसला 26.02.2019 पर दिया गया था। श्री. राशिद खान पठान ने अपनी शिकायत में विभिन्न मामलों का संदर्भ दिया, जो उनके अनुसार, पीठ के समक्ष उद्धृत किए गए थे। उन्होंने आग्रह किया कि पीठ द्वारा इन मामलों की अनदेखी या गलत व्याख्या की गई। सवाल यह है कि श्री राशिद खान पठान को इन तथ्यों के बारे में कैसे पता चला। जानकारी का एकमात्र स्रोत श्री नीलेश ओझा हो सकते हैं।

90. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी नागरिक इस न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी या आलोचना कर सकता है। हालाँकि, उस नागरिक के पास कुछ स्थिति या ज्ञान होना चाहिए

देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्षमता, क्षमता, ज्ञान, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को चुनौती देने से पहले। हमें सूचित किया जाता है कि श्री विजय कुर्ले को बार में मुश्किल से 7 साल हुए हैं। उसकी शिकायत गलतियों से भरी हुई है और उसने उस न्यायाधीश के नाम की वर्तनी की जांच करने की भी परवाह नहीं की है जिसके बारे में वह दावा करता है कि उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं है। उसकी पेशेवर साख ज्ञात नहीं है और हम यह समझने में विफल हैं कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर निर्णय देने के लिए एक न्यायाधीश के वस्त्रों को कैसे सजा सकता है, वह भी अत्यधिक असंयमी भाषा और [2020] 7 एस. सी. आर. का उपयोग करके।

ऐसी भाषा जो न केवल न्यायाधीशों की क्षमता पर संदेह करती है, बल्कि न्यायालय को बदनाम करती है और आम जनता की नजर में इस न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा को कम करती है। इस तरह के निंदनीय आरोप कड़ाई से निपटा जाना चाहिए और शुरुआत में ही निपटा जाना चाहिए। जहाँ तक श्री राशिद खान पठान का संबंध है, वे एक गैर सरकारी संगठन के राष्ट्रीय सचिव होने का दावा करते हैं। इसके अलावा, यह भी प्रतीत नहीं होता है कि वह एक वकील है। जिस मुकदमे में जनहित का कोई तत्व नहीं था, उसके संबंध में मुद्दों को उठाने में सार्वजनिक हित क्या था? यह मुख्य रूप से एक पक्ष के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से संबंधित है।

सीआरपीसी की धारा 340 के तहत। आरिश असगर कुरैशी (उपरोक्त) के मामले का इस मामले से क्या लेना-देना है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है या किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। श्री राशिद खान पठान मूल रूप से पीठ के सदस्यों के खिलाफ और इस अदालत के खिलाफ श्री नीलेश ओझा के कहने पर युद्ध छेड़ रहे हैं, यदि श्री नेदुमपारा नहीं, क्योंकि अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि श्री नीलेश ओझा अदालत के समक्ष प्रतिवादी के वकील थे और एकमात्र व्यक्ति हो सकते थे जो श्री राशिद खान पठान को सामग्री की आपूर्ति कर सकते थे।

कथित समकालीन नंबर 3-श्री नीलेश ओझा

91. यह हमें श्री नीलेश ओझा के पास लाता है, जो कथित अवमानना नं। 3 . शुरुआत में, हम यह इंगित कर सकते हैं कि श्री नेदुमपारा अपने निर्वहन में

आवेदन ने बहुत स्पष्ट रूप से खुद को पत्रों से अलग कर लिया है और

उसने कहा है कि वह श्री विजय कुर्ले और श्री नीलेश ओझा को मुश्किल से जानता है और यह भी कहा है कि उन्हें उनके द्वारा भेजे गए संचार से कोई सरोकार नहीं है। यह कथित अवमानना का रुख नहीं है। 3 , श्री नीलेश ओझा। वे इंडियन बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुर्ले हैं। इन पूरी कार्यवाही के दौरान उन्होंने एक तकनीकी आपत्ति पर भरोसा किया है कि उन्होंने पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन उनके लिखित प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ विभिन्न हलफनामों से फिर से पता चलता है कि उन्होंने किसी भी मामले से अलग नहीं किया है।

शिकायत में कहा गया है। वास्तव में, उन्होंने इसे सही ठहराने की कोशिश की है। जब हम श्री नीलेश ओझा द्वारा दायर डिस्चार्ज आवेदन के पैरा 12.41 से गुजरते हैं तो बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है। निम्नलिखित कथन अत्यंत प्रासंगिक हैं:

" 12.41 . वह, अधिवक्ता द्वारा भेजा गया पूरा पत्र दिनांक 23.03.2019 है। मिलिंद साठे ने कहीं नहीं बताया कि मेरे द्वारा दी गई शिकायत का कौन सा हिस्सा है, एड. विजय कुर्ले और राशिद खान पठान गलत या गलत हैं।

विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि श्री विजय कुर्ले और राशिद खान पठान द्वारा भेजे गए पत्र श्री की जानकारी और सहमति से भेजे गए थे।

नीलेश ओझा।

92. अब हम कुछ अन्य तथ्यों का भी उल्लेख कर सकते हैं। राशिद खान पठान की शिकायत उस मामले पर आधारित है जिस पर श्री ने तर्क दिया था।

नीलेश ओझा। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि श्री नीलेश ओझा द्वारा कुछ दलीलें उठाई गई थीं जिन पर पीठ ने विचार नहीं किया था या जिन्हें दरकिनार कर दिया गया था। उन्हें इस बारे में तभी पता चल सकता था जब श्री नीलेश ओझा ने उन्हें बताया होता और इसलिए यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि श्री नीलेश ओझा को श्री राशिद खान पठान की शिकायत में जो कहा गया था, उसकी जानकारी नहीं थी या उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था। श्री नीलेश ओझा ने इस मामले पर बहस करते हुए भी श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान द्वारा दायर शिकायतों में कही गई हर बात का समर्थन किया।

हो सकता है कि उन्होंने शिकायत पर हस्ताक्षर नहीं किए हों, लेकिन हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों शिकायतें एक-दूसरे के साथ समन्वय में भेजी गई थीं। वास्तव में श्री विजय कुर्ले ने अपनी शिकायत में श्री राशिद खान पठान द्वारा की गई शिकायत का उल्लेख किया है। यदि श्री राशिद खान पठान की शिकायत केवल भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित है, जो 19.03.2019 पर भेजी गई थी, तो श्री विजय कुर्ले 20.03.2019 पर श्री राशिद खान पठान द्वारा की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों का संदर्भ कैसे दे सकते हैं और जब तक कि उन्होंने उन्हें पढ़ा न हो, तब तक उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं।

93. जहाँ तक श्री विजय कुर्ले की शिकायत का संबंध है, यह श्री नेदुमपारा के लिए छद्म युद्ध के अलावा और कुछ नहीं है। अगर श्री नेदुमपारा ने किया

पता नहीं श्री विजय कुर्ले, 183 पृष्ठों की इतनी विस्तृत शिकायत श्री विजय कुर्ले द्वारा 20.03.2019 पर कैसे दायर की जा सकती है, जब श्री नेदुमपारा का मामला अभी भी इस अदालत में लंबित था। इस अदालत ने श्री नेदुमपारा को दिनांक 1 के फैसले द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया और श्री नेदुमपारा को उपस्थित होने का निर्देश दिया ताकि सजा दी जा सके।

अदालत की अवमानना के लिए उन पर आरोप लगाया जा सकता है। मामला 27.03.2019 पर सूचीबद्ध था। हमारी राय में, ये दोनों शिकायतें भारत के राष्ट्रपति को इस अदालत को डराने के लिए भेजी गई थीं ताकि इस अदालत को श्री नेदुमपारा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए आतंकित किया जा सके। एक ऐसे मामले में जो अभी भी लंबित था जहाँ तक सजा लागू की गई थी

संबंधित, श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान को इन संचारों को भेजने का कोई काम नहीं था। ये संचार व्यापक रूप से थे

सोशल मीडिया पर प्रसारित, जैसा कि वर्तमान मामले में दायर श्रीमती रोहिणी एम. अमीन के हलफनामे से स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया से शिकायत की एक प्रति प्राप्त की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खान पठान ने अपनी शिकायत केवल भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित की थी। जहाँ तक श्री विजय कुर्ले की शिकायत का संबंध है, यह सभी सहित कई अन्य व्यक्तियों को संबोधित है।

मीडिया और केवल श्री राशिद खान पठान ही ऐसा कर सकते थे। यह भी स्पष्ट था कि यह केवल सक्रिय मिलीभगत से और श्री नीलेश ओझा की सहमति से किया गया था क्योंकि वे भारत के राष्ट्रपति हैं। बार एसोसिएशन। जब अवमानना का नोटिस जारी किया गया, तभी श्री नेदुमपारा ने कहा कि वह श्री विजय कुर्ले, श्री नीलेश ओझा और श्री राशिद खान पठान को नहीं जानते हैं और शिकायतों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। जहां तक श्री नीलेश ओझा का सवाल है, उनका कहना है कि उन्होंने न तो शिकायत भेजी है और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई है। हालाँकि, आज तक श्री नीलेश ओझा ने किसी को या सार्वजनिक रूप से कोई संदेश नहीं भेजा है कि उन्होंने श्री विजय कुर्ले की शिकायत से खुद को अलग कर लिया है। श्री नीलेश ओझा इंडियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्री विजय कुर्ले द्वारा शिकायत भेजी गई है जो महाराष्ट्र और भारतीय बार एसोसिएशन की गोवा इकाई के राज्य अध्यक्ष हैं। यह श्री विजय कुर्ले की व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि भारतीय बार एसोसिएशन की महाराष्ट्र और गोवा इकाई के राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता में शिकायत थी। श्री नीलेश ओझा इंडियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जब वकीलों के निकाय का कोई सदस्य इस तरह का कटु संवाद भेजता है

ऐसे निकाय के प्रमुख न्यायाधीशों के खिलाफ निंदनीय आरोप उसी के लिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। प्रमुख को या तो तुरंत एक विरोधाभास भेजना चाहिए या अन्यथा यह मान लेना चाहिए कि शिकायत उसकी जानकारी, सहमति और अनुमोदन के साथ भेजी गई है।

94. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट विचार है कि श्री विजय कुर्ले द्वारा भेजी गई शिकायत मिली-जुली थी और श्री नीलेश ओझा के आदेश। इसलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि तीनों यानी श्री विजय कुर्ले, श्री राशिद खान पठान और श्री नीलेश ओझा मिलकर काम कर रहे थे और पीठ के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगा रहे थे, शायद इस इरादे से कि पीठ के सदस्य इसके बाद श्री नेदुमपारा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।

आरईः विजय कर्ले और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे।]

सत्य की रक्षा

95. हालाँकि मौखिक तर्कों में इतना नहीं, लेकिन लिखित तर्कों में कथित अवमानकर्ताओं ने बचाव के रूप में सच्चाई की दलील भी उठाई है। बचाव के रूप में सत्य किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिस पर आरोप लगाया गया है

न्यायालय की अवमानना। हालाँकि, सभी लिखित दलीलों और अभिवचनों को देखने पर, यह कहने के अलावा कि न्यायाधीशों ने इस न्यायालय के निर्णयों की गलत व्याख्या की थी या उन्हें नजरअंदाज किया था या न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन पक्षपाती थे, इस बचाव का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। आरोप भी निंदनीय और निंदनीय हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

96. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम तीनों कथित अवमानकर्ताओं यानी श्री विजय कुर्ले, श्री राशिद खान पठान और श्री नीलेश ओझा को अवमानना का दोषी मानते हैं।

97. न्यायमित्र श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए हम अपनी सराहना दर्ज करते हैं। हम भी सभी को अस्वीकार करते हैं

अवमानकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप।

98. मामले को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा के मुद्दे पर अवमानकों की सुनवाई के लिए 01.05.2020 पर सूचीबद्ध किया जाए। अंकित ज्ञान

समकालीनों

को दोषी ठहराया गया।